वार्षिक प्रतिवेदन
2021-22

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति
(एनईएसटीएस)

जीवन तारा बिल्डिंग, नई दिल्ली

विषय सूची

अध्याय 1	प्रस्तावना	5
अध्याय 2	शैक्षणिक परिदृश्य	16
अध्याय 3	ईएमआरएस-प्रबंधन सूचना प्रणाली	30
अध्याय 4	निर्माण उपलब्धियां	32
अध्याय 5	प्रशासन और मानव संसाधन	37
अध्याय 6	वित्त	43
	अनुलग्नक	44
	शब्दकोष	59

अध्याय 1
प्रस्तावना

सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त समतावादी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना संविधान में प्रतिष्ठापित एक अभिलषित लक्ष्य रहा है। इसलिए समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से सरल जनजातीय लोगों को समाज के शेष वर्गों की बराबरी में यथाशीघ्र आने हेतु, उन्हें सक्षम बनाने के लिए विशेष व्यवस्था प्रदान की गई है। तदनुसार, संविधान ने जनजातीय लोगों की सुरक्षा और उन्नति के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया है। सामान्य तौर पर समाज के वंचित वर्गों के लिए भारत के संविधान में रखे गए सुरक्षात्मक व्यवस्था के अतिरिक्त आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से कई प्रावधान विशेष रूप से प्रदान किए गए हैं। भारतीय समाज के अति पिछड़े वर्गों के लिए समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक केन्द्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए वर्ष 1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की स्थापना की गई थी।

"साक्षरता स्वयं में कोई शिक्षा नहीं है। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है ना ही प्रारम्भ है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है।"

महात्मा गांधी
(राष्ट्रपिता)

अपनी स्थापना के उपरांत, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर में आदिवासियों के समग्र उत्थान हेतु विभिन्न पहल करता रहा है। इनमें से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर मंत्रालय का ध्यान प्रमुख रूप से केन्द्रित रहा है, क्योंकि शैक्षिक विकास से ही आर्थिक और सामाजिक विकास संभव हो पाता है। समग्र सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी साधन है।

(क) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के बारें में

सुदूर क्षेत्रों में बसे अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1997-98 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय(ईएमआरएस) की शुरुआत की गई, ताकि वे उच्च एवं व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने और तदुपरांत रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। ईएमआरएस केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रम पर ही नहीं बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देते हैं। प्रत्येक स्कूल में 480 छात्रों की क्षमता है, जो कक्षा छठी से बारहवीं तक की शिक्षा प्रदान करते हैं। अब तक संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के अधीन राज्य सरकारों को स्कूलों के निर्माण और आवर्ती व्यय के लिए अनुदान दिये जाते थे। अब 'ईएमआरएस' केंद्रीय क्षेत्र की एक पृथक योजना है।

जनजातीय शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु, यह निर्णय लिया गया था कि 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और न्यूनतम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 जनगणना आंकड़ों के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक/उप-जिला में एक ईएमआरएस होगा। एकलव्य स्कूल नवोदय विद्यालय के समकक्ष होंगे और इनमें खेल-कूद और कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। देश भर में उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले ब्लॉकों में 452 नये ईएमआरएस का निर्माण प्रस्तावित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि चिन्हित उप-जिलों/ब्लॉकों में जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी का घनत्व अधिक (90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक) है, वहां आवासीय सुविधा के बिना स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रयोगिक आधार पर एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल(ईएमडबीएस) स्थापित करना प्रस्तावित है।

प्रत्येक राज्य में एक चिन्हित व्यक्तिगत खेल और एक सामूहिक खेल के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है। खेलों के लिए इन उत्कृष्टता केंद्रों में भारतीय खेल प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार अत्याधुनिक सुविधाएं, उपकरण और वैज्ञानिक रूप से समर्थित विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध होंगे।

(ख) स्कूलों में सुविधाएं

विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रासंगिक प्रावधानों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों को पूर्ण करना होगा। स्कूलों में निम्नानुसार न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित की जाएँगी :

1. अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा (स्कूल, प्रयोगशाला, छात्रावास, खेल सुविधा, कर्मचारी आवास इत्यादि)
2. अध्ययन सामग्री और गणवेश (पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु के लिए अनुकूल कपड़े सहित)
3. प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी की सुविधाएं।
4. कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं।
5. कौशल विकास मंत्रालय के सहयोग से उपयुक्त कौशल प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना।
6. चिकित्सा सुविधाएं जिनमे टेलीमेडिसिन और निकटवर्ती प्रमुख अस्पतालों के साथ टाई-अप करना सम्मिलित होगा।
7. जनजातीय बच्चों की नैदानिक और उपचारात्मक चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए सुविधाएं(जैसे सिकल सेल एनीमिया, तपेदिक, मलेरिया आदि) जहां तक संभव हो सुनिश्चित किया जाएगा।
8. छात्राओं की विशेष पोषण की आवश्यकता और मासिक धर्म स्वच्छता के लिए प्रावधान (सैनिटरी पैड, कचरा भट्टी, आदि)।
9. पर्याप्त पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान।
10. स्काउट, गाइड, एनसीसी, स्कूल बैंड और संबंधित गतिविधियां।
11. नृत्य, संगीत, चित्रकला, ट्रेकिंग, भ्रमण/प्रदर्शनी दौरा, अध्ययन यात्राएं जैसी पाठ्येतर गतिविधियां भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगी।
12. शैक्षणिक, खेल और सह-पाठ्यक्रम सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल स्तर की प्रतियोगिताओं में भागीदारी।
13. रिपोर्टिंग / निगरानी के लिए मोबाइल ऐप और सुदृढ़ एमआईएस।
14. विनिमय कार्यक्रमों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) में भागीदारी।
15. प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षण उपकरणों का उपयोग।

जहां तक संभव हो विद्यालय में सुविधाएं जवाहर नवोदय विद्यालयों के समकक्ष होंगी।

(ग) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में प्रवेश नीति

1. इन स्कूलों में प्रवेश एनईएसटीएस द्वारा निर्धारित उचित पारदर्शी वस्तुनिष्ठ मानदंड के माध्यम से होगा।
2. लड़कों और लड़कियों के लिए सीटों की संख्या समान होंगी।
3. एक स्कूल में अधिकतम विद्यार्थियों की स्वीकृत संख्या 480 हैं।
4. उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कक्षा छठीं से दसवीं तक प्रत्येक कक्षा 2 वर्गों में, प्रत्येक वर्ग में 30 विद्यार्थी के साथ अधिकतम 60 विद्यार्थी होंगे।
5. उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11वीं और 12वीं) पर विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी तीनों स्ट्रीम के लिए प्रत्येक कक्षा में तीन वर्ग होंगे। प्रत्येक वर्ग में अधिकतम स्वीकृत विद्यार्थियों की संख्या 30 होगी।
6. ईएमआरएस/ईएमडीबीएस की 10 प्रतिशत सीटें गैर-अनुसूचित जनजाति के बच्चों द्वारा भरी जा सकती है (विद्यालय में छात्रों की संख्या 480 से अधिक नहीं होनी चाहिए)। ईएमआरएस/ईएमडीबीएस कर्मचारियों के बच्चों, वामपंथी उग्रवाद और विप्लव के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों, विधवाओं के बच्चों, दिव्यांग माता-पिता के बच्चों आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले योग्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए खेल कोटा के अंतर्गत 20 प्रतिशत सीटों का आरक्षण।
8. मंत्रालय/एनईएसटीएस खेल कोटा के अंतर्गत विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु पृथक विस्तृत दिशानिर्देश जारी करे गये हैं।

(घ) ईएमआरएस की निगरानी के लिए हितधारक

- **केन्द्र स्तर**
  जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एनईएसटीएस की स्थापना एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्कूलों की स्थापना, बंदोबस्त, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करने और आवश्यकता होने पर, राज्य के आरक्षण रोस्टर को विधिवत सुनिश्चित करते हुए एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती करने के उद्देश्य से की गई है।

- **राज्य स्तर**
  राज्य सरकारें खेल और संबंधित अवसंरचना के लिए ईएमआरएस/ईएमडीबीएस/क्रीड़ा उत्कृष्टता केंद्र के विकास और विस्तार के लिए निःशुल्क भूमि प्रदान करती है। राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है कि वे आवश्यक एहतियाती उपाय करके स्कूल, बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति का समाधान करें जो स्कूल, छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
  राज्य स्तर पर, राज्य विशेष में स्वीकृत/स्थापित स्कूलों के प्रबंधन के लिए निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष रूप से राज्य ईएमआरएस सोसायटी (यदि स्थापित नहीं है तो) स्थापित की जानी चाहिए। ये राज्य समितियां ईएमआरएस प्रशासन और उसके कर्मचारियों और उन्हें सौंपे गए अन्य उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार हैं।

- **जिला स्तर**
  स्कूलों के कामकाज की निगरानी के लिए जिला स्तरीय कमेटी (डी.एल.सी.) का गठन किया जाना है। डीएलसी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे, एवं स्थानीय शिक्षाविदों, आदिवासी प्रतिनिधियों और जिला स्तर के अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल होंगे जो स्कूलों के प्रभावी संचालन में पर्यवेक्षण और आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

(ङ) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) के संबंध में

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) की स्थापना की गई है जो स्कूलों की स्थापना, बंदोबस्त, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करती है।

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) के लक्ष्य और उद्देश्यः

- स्कूलों एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस) और खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, बन्दोबस्त, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करना और स्कूलों के संवर्धन के लिए सहायता अथवा सभी आवश्यक कार्य और चीजों को करना जिनके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

1. मुख्य रुप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली आदिवासी बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मूल्य की सीख के मजबूत, पर्यावरण, साहसिक एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो
2. पूरे देश में एक सामान्य माध्यम से निर्देश के लिए उपयुक्त स्तर पर सुविधाएं प्रदान करना।
3. आदिवासी लोगों की सामान्य और समग्र विरासत को सुविधाजनक बनाने और समझने तथा मानकों में तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक सरल पाठ्यक्रम प्रदान करना।
4. राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सामाजिक समरसता को समृद्ध करने के लिए प्रत्येक स्कूल में देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में छात्रों को उत्तरोत्तर लाना।
5. वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षकों के प्रशिक्षण और अनुभव और सुविधाओं का आदान-प्रदान करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करना।
6. खेलों में उत्कृष्टता केंद्रों के समक्ष पाठ्येतर गतिविधियों के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना।
7. राष्ट्रीय संस्कृति में गौरव पैदा करने के लिए आदिवासी विरासत, संस्कृति, संगीत, नृत्य एवं अन्य कलाओं को संरक्षित एवं संजोए रखना

8. छात्रों को विशेष रूप से स्व-रोजगार सहित रोजगार के लिए उन्मुख कौशल हासिल करने में मदद करना।
9. सर्वोत्तम शैक्षणिक मानकों, खेलों और पाठ्येतर गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना।

(च) एनईएसटीएस की शासी निकाय संरचना

पुर्नगठित शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

1. माननीय मंत्री, केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष
2. माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
3. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
4. संयुक्त सचिव (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
5. वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
6. उप महानिदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
7. अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सदस्य
8. निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)-सदस्य
9. महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण-सदस्य
10. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)-सदस्य
11. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय समिति (केवीएस)-सदस्य
12. सीईओ, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)-सदस्य
13. अनुसूची V के अन्तर्गत राज्यों से एक प्रमुख सचिव/सचिव (आदिवासी विकास/कल्याण)-सदस्य
14. अनुसूची VI के अन्तर्गत राज्यों से एक प्रमुख सचिव/सचिव (आदिवासी विकास/कल्याण)-सदस्य
15. निदेशक (सामान्य प्रशासन), जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
16. निदेशक (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
17. आयुक्त, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति-सदस्य एवं संयोजक
18. एन.ई.एस. टी.एस. के अपर आयुक्त - पदेन सचिव-सदस्य

- एंईएसटीएस की वार्षिक रिपोर्ट (वार्षिक लेखा रिपोर्ट सहित) पर विचार करने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित समय, तिथि और स्थान पर शासी निकाय की वार्षिक सामान्य बैठक वर्ष में एक बार आयोजित होनी चाहिए।
- अध्यक्ष द्वारा जब भी आवश्यक हो, विशेष बैठक आयोजित की जा सकती है।
- शासी निकाय की प्रत्येक बैठक में गणपूर्ती हेतु न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

शासी निकाय का कार्य :

1. शासी निकाय सुनिश्चित करेगी कि एनईएसटीएस एसोसिएशन के ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य कर रहा है।
2. शासी निकाय सोसायटी/ एनईएसटीएस की निधियों की निगरानी करेगी और वार्षिक लेखों की जांच करने और अनुमोदित करने हेतु प्राधिकृत होगी।
3. शासी निकाय एनईएसटीएस के कार्यों एवं प्रबंधन के लिए आवश्यकता अनुसार नीतियों, नियमों और विनियमों को निर्धारित करेगी।
4. शासी निकाय आवश्यकता अनुसार एनईएसटीएस के संरचना में परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत होगी।

(छ) ईएमआरएस के लिए राष्ट्रीय संचालन कमेटी

ईएमआरएस के लिए राष्ट्रीय संचालन कमेटी में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

1. माननीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय-अध्यक्ष
2. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
3. संयुक्त सचिव (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
4. वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य

5. अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सदस्य
6. निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)-सदस्य
7. महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण-सदस्य
8. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति-सदस्य
9. सीईओ, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)-सदस्य
10. अनुसूची V के अर्न्तगत राज्यों से एक प्रमुख सचिव/सचिव (आदिवासी विकास/कल्याण)-सदस्य
11. अनुसूची VI के अर्न्तगत राज्यों से एक प्रमुख सचिव/सचिव (आदिवासी विकास/कल्याण)-सदस्य
12. आयुक्त, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति-सदस्य एवं संयोजक
13. अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अन्य सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।

- ईएमआरएस के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक दो छमाही में एक–एक अर्थात प्रथम अप्रैल से सितंबर और दूसरा अक्टूबर से मार्च में आयोजित होंगी।
- अध्यक्ष द्वारा जब भी आवश्यक हो, विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।
- अध्यक्ष और राष्ट्रीय संचालन समिति के पांच सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ती हेतु आवश्यक है।

राष्ट्रीय संचालन समिति के कार्य :

1. शासी निकाय की 3 समितियां - कार्यकारी समिति, वित्त समिति और शैक्षणिक समिति की निगरानी और मार्गदर्शन करना।
2. ईएमआरएस की स्वीकृति एवं निर्माण की प्रगति की समीक्षा करना। स्वीकृत ईएमआरएस में पठन-पाठन कार्य की शुरुआत की प्रगति की समीक्षा।
3. ईएमआरएस, ईएमडीबीएस और सेंटर ऑफ एक्सलेन्स की स्थापना और प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए विस्तृत नीतियां एवं दिशानिर्देश बनाना
4. ईएमआरएस, ईएमडीबीएस और सीओई (क्रीड़ा) के प्रबंधन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेशों हेतु दिशानिर्देश बनाना।

(ज) एनईएसटीएस की शासी निकाय के अंतर्गत कार्यकारी समिति

कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. आयुक्त, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति(एनईएसटीएस)- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
3. वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
4. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति(एनवीएस)-सदस्य
5. निदेशक/प्रतिनिधि, भारतीय खेल प्राधिकरण-सदस्य
6. राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार से जनजातीय कल्याण विभाग के एक प्रधान सचिव/सचिव-सदस्य
7. निदेशक (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
8. अपर आयुक्त, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति(एनईएसटीएस)-सदस्य एवं संयोजक
9. अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अन्य सदस्यों को शामिल कर सकते है।

- प्रत्येक तिमाही में कार्यकारी समिति की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी।
- अध्यक्ष द्वारा जब भी आवश्यक हो, विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।
- अध्यक्ष और तीन सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति पूर्ण होगी।

कार्यकारी समिति के कार्य :

1. ईएमआरएस, ईएमडीबीएस और सेंटर ऑफ एक्सलेन्स की स्थापना और निर्माण की समीक्षा करना।
2. स्कूलों, छात्रावास और अन्य संबंधित क्रियाकलापों का रख-रखाव और प्रबंधन के लिए राज्य/संघ राज्य प्रदेश ईएमआरएस सोसायटी को आवश्यक सहयोग करना।

3. प्राधिकृत संगठन द्वारा ईएमआरएस और ईएमडीबीएस का आवधिक बाह्य मूल्यांकन करवाना ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उद्देश्यों को कहां तक पूरा किया जा रहा है एवं इस हेतु उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करना।
4. सर्वोत्तम शैक्षणिक मानकों के अनुसार ईएमआरएस स्कूलों के कार्यों की समीक्षा करना।
5. पारदर्शी चयन प्रक्रिया से शिक्षकों की नियुक्ति और विधार्थियों के दाखिला की समीक्षा और निगरानी करना।
6. राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार / ईएमआरएस सोसायटी से संबंधित स्कूलों में पर्याप्त अवसंरचना का प्रावधान/उपलब्धता और उनका रख-रखाव की समीक्षा और निगरानी करना।
7. राज्य/संघ राज्य प्रदेश ईएमआरएस समितियों द्वारा अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती और सेवा शर्तों की निगरानी करना और ईएमआरएस में शिक्षकों की उपलब्धता की समीक्षा करना और चुनौती से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना।
8. स्कूलों की क्षमता का इष्टतम उपयोग की समीक्षा करना।
9. जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार राज्य/राज्य ईएमआरएरस सोसायटियों को सौपें गए वर्तमान भवनों का नवीकरण/उन्नयन करने के साथ-साथ नए भवनों के निर्माण की समीक्षा करना।
10. सोसायटी/एनईएसटीएस के लक्ष्य और उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए एमओयू, करार और अन्य समानुरूप प्रबंधन की समीक्षा करना।
11. सोसायटी/एनईएसटीएस के सभी अथवा कोई भी लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, आकस्मिक अथवा अनुकूल समझे जाने वाले ऐसे सभी कार्यों को करना।

(झ) एनईएसटीएस की वित्त समिति

वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय-अध्यक्ष
2. आयुक्त, एनईएसटीएस-सदस्य
3. संयुक्त सचिव (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
4. एक प्रधान सचिव/सचिव, राज्य सरकार-सदस्य
5. प्रधान वित्त/लेख अधिकारी/उपायुक्त (वित्त), एनईएसटीएस
6. प्रधान लेखा नियंत्रक, जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
7. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति-सदस्य
8. निदेशक, आईएफडी, जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
9. उपायुक्त, एनईएसटीएस-सदस्य एवं संयोजक

- अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अन्य सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।
- प्रत्येक तिमाही में वित्त समिति की न्यूनतम एक बैठक अनिवार्य होगी।
- अध्यक्ष द्वारा जब भी आवश्यक हो, विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।
- अध्यक्ष और तीन सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति पूर्ण होगी।

वित्त समिति के कार्य :

1. एनईएसटीएस के बैलेन्स शीट सहित वार्षिक लेखा विवरण की जांच कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में शासी निकाय के अनुमोदन हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत करना।
2. सोसायटी के लेखा और बजट अनुमान का परीक्षण कर अपनी टिप्पणी सहित संचालन समिति/शासी निकाय को प्रस्तुत करना।
3. राज्य/संघ शासित प्रदेश ईएमआरएस सोसायटियों को उपयुक्त बजट आवंटन और बजट प्रदान सुनिश्चित करना।
4. स्कूलों के रखरखाव और प्रभावी संचालन के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश ईएमआरएस समितियों/जिला स्तरीय निगरानी समितियों/प्रिंसिपल को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में संचालन समिति को सिफारिश करना।
5. यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार एनईएसटीएस के लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा की जाती है।
6. समय-समय पर एनईएसटीएस के वित्त की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि एनईएसटीएस को जारी अनुदान का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है;

7. किसी अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय/बजट मामलों पर संचालन समिति/शासी निकाय को परामर्श देना और अनुशंसा करना।

(ञ) एनईएसटीएस की शैक्षणिक समिति

शैक्षणिक समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1. आयुक्त, एनईएसटीएस- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय-सदस्य
3. एक प्रधान सचिव, राज्य सरकार-सदस्य
4. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति-सदस्य
5. निदेशक, एनसीईआरटी का प्रतिनिधि-सदस्य
6. अध्यक्ष, सीबीएसई का प्रतिनिधि-सदस्य
7. भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रतिनिधि-सदस्य
8. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से प्रतिनिधि-सदस्य
9. उपायुक्त, (शैक्षणिक) एनईएसटीएस, -सदस्य
10. ईएमआरएस के एक प्रिंसिपल-सदस्य
11. ईएमआरएस के एक शिक्षक (राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक को प्राथमिकता)-सदस्य

- अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अन्य सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।
- शैक्षणिक समिति प्रत्येक छमाही में एक बैठक का आयोजन करेगी।
- अध्यक्ष द्वारा जब भी आवश्यक हो, विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।
- अध्यक्ष और चार सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति पूर्ण होगी।

शैक्षणिक समिति के कार्य :-

1. ईएमआरएस और ईएमडीबीएस के पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, विद्यार्थियों का प्रवेश और अन्य कार्यक्रमों के संबंध में मानदंड तैयार करना और ईएमआरएस में शैक्षणिक और पाठ्येतर कार्यक्रमों के लागू करने के संबंध में एनईएसटीएस को परामर्श देना।
2. शैक्षणिक, पाठ्येतर कार्यकलापों, खेलों इत्यादि में बेहतर कार्यप्रणालियों को अपनाने हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेश ईएमआरएस सोसायटियों को प्रोत्साहित करना, इन कार्यक्रमों की आवधिक समीक्षा करना और सुधारात्मक उपायों के संबंध में परामर्श देना।
3. ईएमआरएस में प्रवेश के लिए एकरूप दिशानिर्देश बनाना और राज्य/संघ शासित प्रदेश ईएमआरएस सोसायटियों द्वारा अंगीकार कराना।
4. ईएमआरएस विद्यार्थियों के लिए खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश और रूपरेखा तैयार करना।
5. शिक्षा में मूल्य वर्धन और प्रयोग के माध्यम से मॉडल स्कूलों का निर्माण करने के लिए प्रख्यात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे सीबीएसई, एनसीईआरटी, एआईसीटीई, डीओएसईएंडएल, एमओई इत्यादि के विशेषज्ञों के साथ मिलकर ईएमआरएस विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप मे विकसित करना।
6. एनईएसटीएस के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु योजना बनाना, शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु सुझाव प्रदान करना।
7. ईएमआरएस/ईएमडीबीएस/सीओई में शैक्षणिक और पाठ्येतर सुधार के लिए नीतियाँ और कार्य योजना तैयार करना।

(ट) ईएमआरएस की राज्य/संघ शासित प्रदेश वार सूची

राज्य	संचालित ईएमआरएस	गैर-संचालित ईएमआरएस	कुल योग
आंध्र प्रदेश	28	0	28
अरुणाचल प्रदेश	2	8	10
असम	1	9	10
बिहार	0	3	3
छत्तीसगढ़	71	2	73
दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	1	0	1
गुजरात	35	6	41
जम्मू एवं कश्मीर	0	6	6
हिमाचल प्रदेश	4	0	4
झारखंड	7	80	87
कर्नाटक	12	0	12
केरल	2	2	4
लद्दाख	0	3	3
मध्य प्रदेश	63	6	69
महाराष्ट्र	31	5	36
मणिपुर	3	18	21
मेघालय	0	27	27
मिजोरम	6	11	17
नागालैंड	3	19	22
ओडिशा	27	77	104
राजस्थान	30	1	31
सिक्किम	4	0	4
तमिलनाडू	8	0	8
तेलंगाना	23	0	23
त्रिपुरा	5	16	21
उत्तर प्रदेश	2	2	4
उत्तराखंड	3	1	4
पश्चिम बंगाल	7	1	8
कुल योग	**378**	**303**	**681**

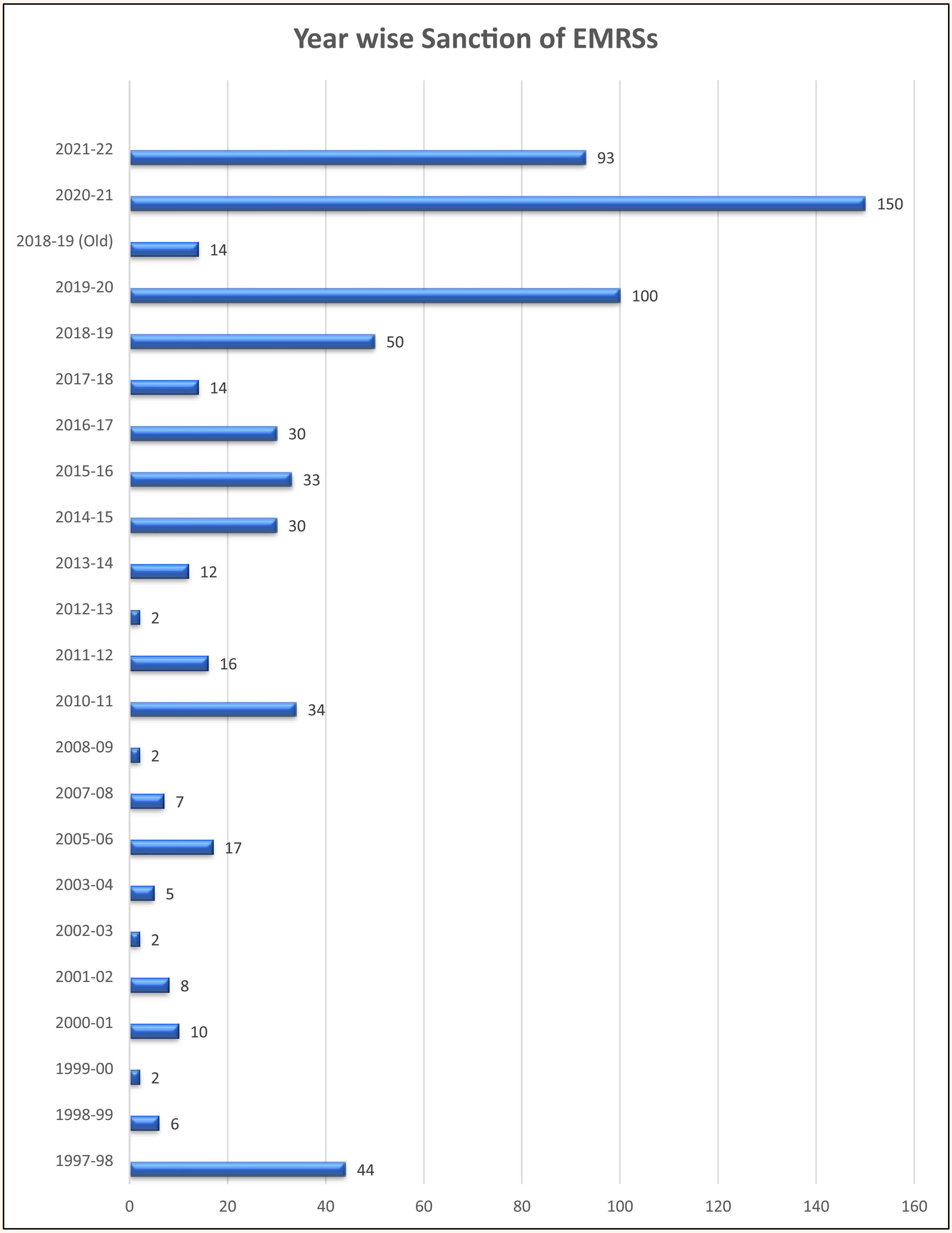
Year wise Sanction of EMRSs
2021-22
93
2020-21
150
2018-19 (Old)
14
2019-20
100
2018-19
50
2017-18
14
2016-17
30
2015-16
33
2014-15
30
2013-14
12
2012-13
2
2011-12
16
2010-11
34
2008-09
2
2007-08
7
2005-06
17
2003-04
5
2002-03
2
2001-02
8
2000-01
10
1999-00
2
1998-99
6
1997-98
44
0
20
40
60
80
100
120
140
160

अध्याय 2
शैक्षिक परिदृश्य

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन, आदिवासी छात्रों के शैक्षिक विकास में कार्यरत है। छात्रों और शिक्षकों की शैक्षणिक, सह-पाठ्यचर्या और समग्र प्रगति के लिए पिछले शैक्षणिक वर्ष में कई शैक्षिक उपक्रम किये गए जोकि निरंतर जारी हैं।

एनईएसटीएस का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि अग्रणी/ अभिनव / नवाचार शिक्षा पद्धतियों/ प्रथाओं से देश भर में स्थापित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRSs) को परिचित किया जाये तथा उनकी कार्यात्मक प्रभावशीलता को मजबूत बनाने के लिए इन शिक्षा प्रथाओं को एकीकृत कर लागू किया जाये। शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 में, NESTS ने राष्ट्रीय शीर्ष निकायों और स्वयंसेवी संगठनों जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), टाटा ट्रस्ट (TATA Trusts), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई (IIT Bombay) इत्यादि के सहयोग से प्रभावी नवोन्मेषी कार्यक्रम शुरू किए हैं। विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों जैसे कौशल केंद्रों की स्थापना, अनुभवात्मक शिक्षा, शिक्षाशास्त्र, स्कूल नेतृत्व आदि जैसे विविध विषयों पर स्कूलों के प्रमुखों और शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रमुख संगठनों के साथ सहकार्यता स्थापित की है।

1. **IIT Bombay के सहयोग से ICT Tools पर स्पोकन ट्यूटोरियल वर्कशॉप (Spoken Tutorial Workshop)**

   भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई (IIT Bombay) ने एक स्व-शिक्षण अतुल्यकालिक प्रशिक्षण पद्धति - स्पोकन ट्यूटोरियल, जिसे आईसीटी (ICT) माध्यम पर राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल विभिन्न विषयों पर 10-10 मिनट का एक ऑडियो-वीडियो ट्यूटोरियल है जिन्हे फ्री/लिबर और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (FLOSS) पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने के लिए बनाया गया है। NESTS ने EMRS शिक्षकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) प्रशिक्षण प्रदान करने और उनके ICT कौशल और दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता को महसूस किया। ICT, 21वीं सदी में कक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण है जिसका उपयोग विशेष रूप से शिक्षकों के लिए समय की आवश्यकता माना गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल के द्वारा अत्यंत उपयोगी ICT उपलब्ध उपकरणों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दो दिनों की स्पोकन ट्यूटोरियल कार्यशाला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक ऑनलाइन मोड के माध्यम से 15 और 16 अप्रैल, 2021 को आयोजित की गई थी जिसमें दो राज्यों महाराष्ट्र और ओडिशा से चार विषयों अर्थात् रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, गणित और भौतिकी पढ़ाने वाले 63 स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) ने भाग लिया।

विषय	प्रतिभागियों की संख्या
रसायन विज्ञान	15
गणित	18
भौतिक विज्ञान	19
सूचना प्रौद्योगिकी	11
कुल जोड़	63

*तालिका 2.1 पायलट कार्यशाला के लिए लक्षित विषय
और लक्षित स्कूली शिक्षकों की संख्या*

कार्यशाला का आयोजन शिक्षकों को विषय विशिष्ट ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर से परिचित कराने के उद्देश्य से किया गया था। कार्यशाला के दौरान व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया जिससे शिक्षकों को कक्षा शिक्षण में आईसीटी उपकरण के रूप में सॉफ्टवेयर को आसानी से सीखने और उपयोग करने में मदद मिली। सिमुलेशन, वर्चुअल लैब आदि के माध्यम से कठिन अवधारणाओं की समझने में आसानी हुई। सॉफ्टवेयर और विशिष्ट पाठ्यक्रम, जो उन्हें सीखना था, के बारे में प्रतिभागियों की न्यूनतम जानकारी को मापने के लिए प्री-वर्कशॉप प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। प्रतिभागियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी।

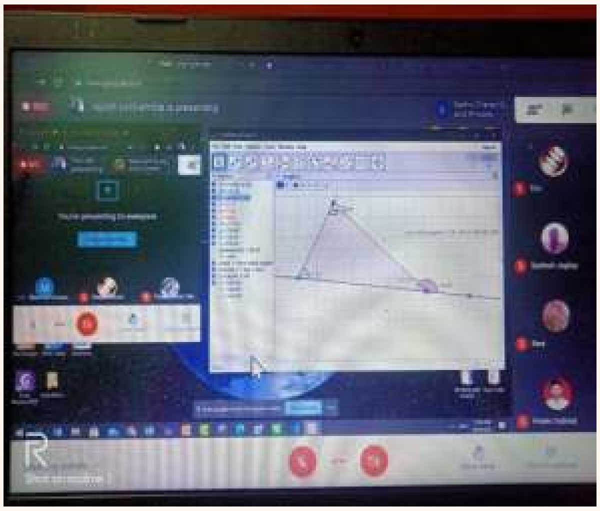

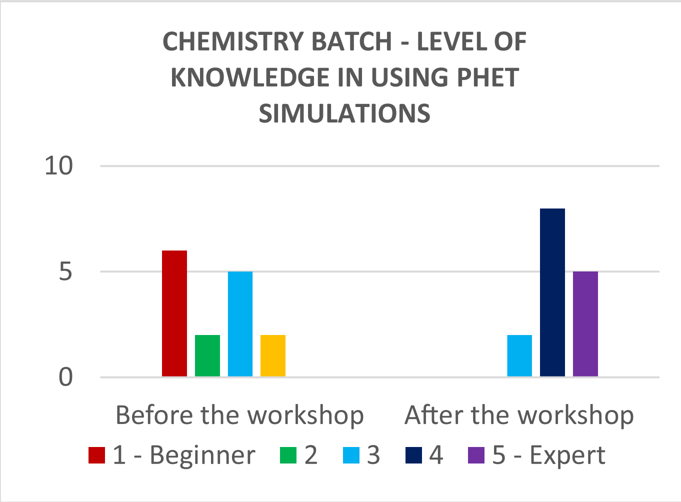

चित्र 2.1 प्रशिक्षण सत्र और कार्यशाला प्रतिक्रिया के आशुचित्र

फ्री/लिबर और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन (FOSSEE) और स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे ने CBSE के सहयोग से रसायन विज्ञान के शिक्षकों के लिए रसायन विज्ञान विषय के लिए उपलब्ध ICT उपकरणों के उपयोग पर ज्ञान बढ़ाने के लिए Chem Collective Virtual Lab पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। Chem Collective Virtual Lab ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर के उपयोग से बनाया गया रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का एक अनुकरण है, जिसे छात्रों को रसायन विज्ञान प्रयोग करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 28 जून से 2 जुलाई, 2021 तक पांच दिनों की यह ऑनलाइन कार्यशाला 3 घंटे का लाइव हैंड्स-ऑन सत्र के साथ, स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान शिक्षकों के लिए आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में कुल 25 शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन लाइव प्रदर्शनों और पूर्व रेकॉर्डिड स्पोकन ट्यूटोरियल वीडियो के साथ-साथ सीखने की मिश्रित प्रणाली का उपयोग करके किया गया था।

2. राष्ट्रीय पहल-स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति कार्यक्रम (NISHTHA) के लिए NCERT के साथ सहकार्यता

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), एक राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय, अपनी स्थापना उपरांत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख संसाधन व्यक्तियों, मुख्य प्रशिक्षकों, शिक्षकों के लिए पूरे देश में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। एनसीईआरटी का विश्वास है कि इन कार्यक्रमों में विकसित दक्षता जमीनी स्तर पर स्कूल के शिक्षकों तक पहुंच जाएगी। उच्च प्राथमिक शिक्षकों, जोकि EMRS की मजबूत शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक संरक्षक और स्तंभ हैं, को सक्षम बनाने के उद्देश्य से NESTS ने NCERT के साथ NISHTHA प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए सहयोग किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का ध्येय, राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (NEP) 2020 में उद्धृत बाल केंद्रित शैक्षणिक पद्धतियों तथा ऐसे अन्य प्रासंगिक विषयों से EMRS शिक्षकों को परिचित कराना था। कार्यक्रम के उद्देश्य–

चित्र 2.2 श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार के द्वारा यह जानकारी लोक सभा में दिनाक 19 जुलाई, 2021 को प्रस्तुत की गई

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित उभरते और प्रासंगिक मुद्दों पर उच्च प्राथमिक शिक्षकों के क्षमता निर्माण की दिशा में म्डैर के लिए प्रमुख संसाधन व्यक्तियों (KRP) के पूल का निर्माण

उच्च प्राथमिक शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को अपने विषय क्षेत्रों को एक अनुकूल और गतिविधि-आधारित वातावरण, जिसमें बच्चे रटने के बजाय प्रयोग, चर्चा, विश्लेषण आदि करना सीखते हैं, सृजित करने के कौशल से सुसज्जित करना

शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का NEP 2020 द्वारा निर्धारित उच्च प्राथमिक कक्षाओं में उपयोग की जाने वाली शैक्षणिक पद्धतियों से अभिविन्यास।

चित्र 2.3 EMRS सम्बंधित NCERT NISHTHA प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य

EMRS के शिक्षकों के पहले बैच का प्रशिक्षण 10 मई 2021 से 23 जून 2021 तक NISHTHA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया था। तीन राज्यों के 26 EMRSs से 125 पंजीकृत शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों में से 120 ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का पाठ्यक्रम पूरा किया। कार्यक्रम तीन चरणों-पूर्व कार्यशाला (pre-workshop), कार्यशाला-के-दौरान (during workshop) तथा कार्यशाला-के-उपरांत (post-workshop) में आयोजित किया गया था। प्रतिभागियों को शिक्षा के 18 समग्र एवं व्यापक पहलुओं को कवर करने वाले विषय पहलुओं जैसे अधिगम-परिणाम, मूल्यांकन-अभ्यास, शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा-शास्त्र, कला-एकीकृत शिक्षा, लिंग-समानता, स्कूलों की कोविड के दौरान कार्य योजना, POCSO अधिनियम, विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों पर सक्षम बनाया है। EMRS शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए विशेष रूप से आयोजित यह प्रशिक्षण एक मिश्रित प्रणाली के माध्यम से संचालित किया गया था। पाठ्यक्रम सामग्री, गतिविधियों तथा परियोजनाओं को NISHTHA ऑनलाइन पार्टल पर साझा किया गया था जबकि लाइव-इंटरैक्टिव सत्र NCERT के संकाय सदस्यों के साथ वीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किए गए थे। NCERT के राष्ट्रीय संसाधन समूह (NRG) के सदस्यों द्वारा विभिन्न पद्धतियों जैसे आख्यानों, कहानियों, प्रश्नोत्तरी और पहेली आदि के समामेलन का उपयोग करके प्रशिक्षण दिया गया था। NCERT के राष्ट्रीय संसाधन समूह के सदस्यों(NRG) द्वारा एक परस्पर संवादात्मक प्रणाली का उपयोग करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया गया था। मॉड्यूल के लाइव-इंटरैक्टिव सत्र तथा गतिविधियों के पूरा होने पर प्रतिभागियों ने प्रत्येक मॉड्यूल पर आधारित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग लिया और NISHTHA पोर्टल के माध्यम से पोर्टफोलियो जमा किया। प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया, आने वाले समय में इस तरह के इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निष्ठापूर्वक योजना बनाई जाये, से प्रशिक्षण कार्यक्रम से परीक्षणार्थियों पर पड़े प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। विस्तृत पोस्ट-प्रशिक्षण रिपोर्ट प्रतिभागियों की सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया को उजागर करती है।

Q8: The training objectives were met

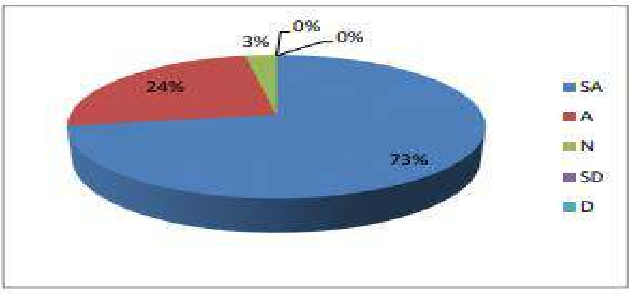

Graph8: Pie diagram showing the percentage of response in different category to Q8

13

When they were asked about the immediate effect of training in terms of the realisation of training objectives, 73 % of the participants strongly agreed and 24 % agreed with the statement. 3% of the participants have shown a neutral response to this statement

चित्र 2.4 NISHTHA प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षण सत्रों के आशुचित्र

महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए NISHTHA - 2.0 का प्रक्षेपण देश भर में ऑनलाइन मोड में किया गया था। इसमें 12 सामान्य और 07 विषय क्षेत्रों - विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा-हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू पाठ्यक्रम की शैक्षणिक प्रणालियों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया था।

3. **अटल नवाचार मिशन (AIM), नीति आयोग के सहयोग से ईएमआरएस में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला (ATL)**

वैज्ञानिक सोच और युवा मन में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, भारत सरकार ने नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन (AIM) की स्थापना की है। AIM भारत में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं (ATL) के एक नेटवर्क की स्थापना के समर्थन का प्रस्ताव करता है । ATL स्कूली बच्चों को एक ऐसा कार्यक्षेत्र प्रदान करता है जहां उनका युवा मष्तिष्क अपने विचारों/अवधारणाओं को एक आकृति प्रदान कर सकते है। अटल नवाचार मिशन अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की क्षमता को विकसित करने और छात्रों को अविष्कारक/नवाचारी एवं समाधान प्रदाता बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग ने IBM तथा लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से 25 मई से 5 जून, 2021 तक दो सप्ताह की एक ऑनलाइन कार्यशाला ''अनबॉक्स टिंकरिंग - एटीएल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम'' का आयोजन देश के सभी राज्यों में फैले ATL प्रभारियों के लिए किया था। इस उपक्रम का उद्देश्य युवा मष्तिष्क में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का पोषण तथा डिजाइन मानसिकता, संगणकीय सोच, अनुकूलक शिक्षा, भौतिक कंप्यूटिंग तीव्र गणना/ माप इत्यादि कौशल विकसित करना है।

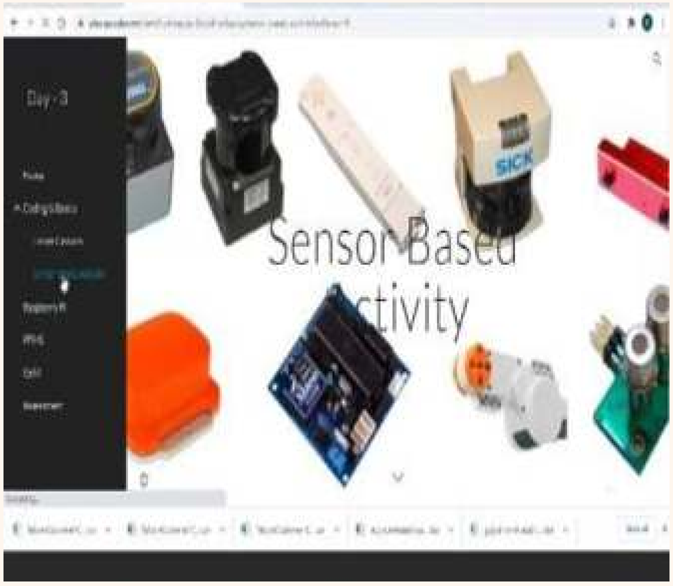

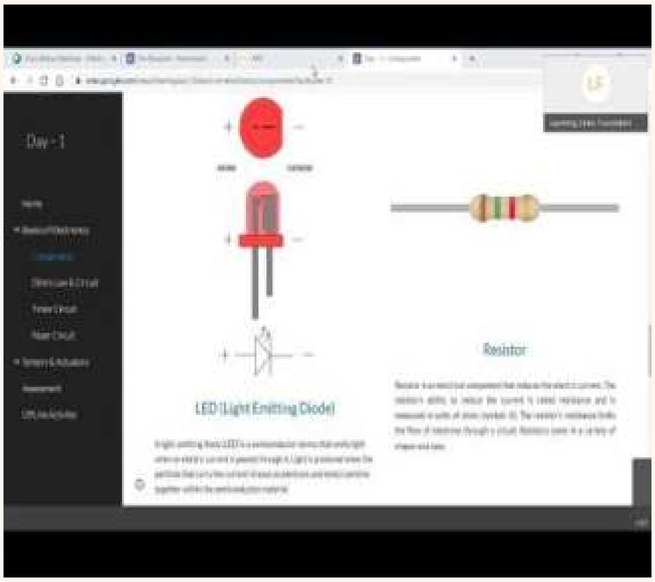

2.5 अनबॉक्स टिंकरिंग एटीएल कार्यक्रम के प्रशिक्षण सत्रों के अशुचित्र

12 दिनों के कार्यक्रम में 60 EMRS प्रमुख, शिक्षक और ATL प्रभारी शामिल हुए। कार्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसमें चर्चाओं की एक श्रृंखला और लाइव सिमुलेशन शामिल था, जिसमें स्व-शिक्षण पाठ्यक्रमों के साथ-साथ खुले, इंटरैक्टिव सीख और और विचारों के आदान प्रदान की अनुमति थी। कार्यक्रम की प्रतिक्रिया उत्साहजनक थी और प्रतिभागियों ने कार्यक्रम से प्राप्त जानकारियों को प्रयोग में लाने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।

4. **नेशनल सेंटर ऑफ स्कूल लीडरशिप (NCSL), NIEPA के सहयोग से स्कूल नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यशाला**

   इस वर्ष, EMRS प्राचार्यों को उनके पेशेवर विकास और उन्नति के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण, जो अंततः स्कूल को विकास के पथ पर अग्रेसित करेगा, से सुसज्जित करने के लिए NESTS के द्वारा NCSL, NIEPA के सहयोग से स्कूल नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (Batch-II) आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम परिवर्तनकारी/ रूपांतरण कार्यावली ''प्रत्येक बच्चा सीखे और प्रत्येक स्कूल उत्कृष्ट'' के साथ आया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य न्यायसम्य मुद्दों को संबोधित करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को अग्रणी बनाने में स्कूल नेतृत्व की भूमिका पर केंद्रित था। 2 फरवरी से 12 फरवरी, 2022 तक प्रशिक्षण का दूसरा 10 दिवसीय स्कूल नेतृत्व क्षमता निर्माण/विकास कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया था जिसमें 11 राज्यों के कुल 42 स्कूल प्राचार्यों ने भाग लिया था। कार्यशाला तीन चरणों पूर्व-आकलन, कार्यशाला और पश्य-मूल्याङ्कन में आयोजित की गई थी। पूर्व-आकलन पठन सामग्री प्रतिभागियों के साथ साझा की गई, जिसके अनुरूप प्रतिभागियों को कार्य करने का प्रयास करना था। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को अन्वेषण, संलग्न और नियोजित करने के लिए परस्पर संवादात्मक प्रणाली का प्रयोग किया गया था।

चित्र 2.6 विद्यालय नेतृत्व प्रशिक्षण सत्रों की झलक

ज्ञान उन्नयन और कौशल विकास के मिशन को जारी रखने के लिए, सभी EMRS प्रचार्यों को NIEPA के MOODLE प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन स्कूल नेतृत्व पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। यह स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम जिसकी संकल्पना राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र (NCSL) द्वारा की गई है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तंत्र (NCF) के स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम पर आधारित है। पाठ्यक्रम में सात प्रमुख क्षेत्रों जो स्कूल प्रमुखों की सभी प्रमुख भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को शामिल करते हैं को सात पाठ्यक्रमों में बदल दिया गया है। इस कार्यक्रम में स्कूल नेतृत्व पर एक परिप्रेक्ष्य के साथ -साथ स्वयं का विकास, शिक्षण अधिगम रूपांतरण, प्रमुख और अग्रणी टीमों का निर्माण, नवाचार, भागीदारी और स्कूल प्रशासन में अग्रणी भूमिका जैसे अहम् विषय शामिल हैं। यह एक सतत कार्यक्रम है जिसमें EMRS शिक्षकों द्वारा पंजीकरण जारी है।

5. **शिक्षा मंत्रालय की नवाचार परिषद, AICTE और CBSE के सहयोग से स्कूल इनोवेशन एंबेसडर प्रोग्राम**

   शिक्षकों की पथप्रदर्शक क्षमता को प्रबल बनाने के लिए, CBSE ने शिक्षा मंत्रालय नवाचार परिषद तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के सहयोग से 'स्कूल इनोवेशन एंबेसडर प्रोग्राम' का प्रक्षेपण किया। 'स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम' का शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्रालय मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से 16 जुलाई, 2021 को किया। स्कूली शिक्षकों के लिए अभिनव और अपनी तरह का अनूठा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), व्यावहारिक दृष्टिकोण, उत्पाद विकास, अवधारणा निर्माण आदि में प्रशिक्षण देना है। NESTS ने EMRS शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करने और स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए अपनी विभिन्न पहलों का विस्तार करते हुए इस उपक्रम में सहयोग किया।

चित्र 2.7 स्कूल इनोवेशन एंबेसडर प्रोग्राम प्रक्षेपण से आशुचित्र

इस सतत कार्यक्रम में सभी EMRSs से लगभग 900 पंजीकृत शिक्षक विभिन्न मॉड्यूल में प्रशिक्षण ले रहे हैं। चूंकि NEP 2020 के सार में एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी है, यह माना जाता है कि इस तरह के कार्यक्रम सभी छात्रों के बीच नए विचार और प्रयोग के नए तरीकों को विकसित करने में एक मिसाल कायम करेंगे।

6. **टाटा ट्रस्ट, MGIS और CBSE के सहयोग से अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम (Experiential Learning Programme)**
NESTS और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने EMRS के शिक्षकों के लिए एक ऑनलाइन अनुभवात्मक शिक्षण पाठ्यक्रम बनाने के लिए Tata Trusts, TISS मुंबई और महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल (MGIS) अहमदाबाद के साथ सहयोग किया है। यह कार्यक्रम अनुभवात्मक शिक्षण पद्धति के क्षेत्र में अद्वितीय है और NEP 2020 के अनुपालना में शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास (CPD) में सहायक होगा। अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, शिक्षण-अधिगम को वास्तविक जीवन के अनुभवों के अनुकूल बनाने में मददगार, को 21वीं सदी के शिक्षकों और प्रचार्यों एक ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है।

चित्र 2.8 अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ और प्रशिक्षण सत्रों के आशुचित्र

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को कम से कम एक छात्र संदर्भित अनुभवात्मक गतिविधि या मॉड्यूल को अपनी कक्षा में लागू करने के लिए प्रोत्साहित तथा तदोपरांत अधिगम में इसके प्रभाव / परिणामों को भी साझा करना था। पाठ्यक्रम का एक अन्य उद्देश्य MGIS संकाय द्वारा विकसित परियोजना मूल्याङ्कन प्रक्रिया से अवगत कराना था ताकि EMRS शिक्षक अधिगम-परिणामों के मद्देनज़र एक अंतःविषय परियोजना का मूल्याङ्कन कर सकें। इसके पहले चरण में 6 राज्यों—अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा से 200 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से चयनित mentors प्रमुख संसाधन व्यक्तियों (KRPs) के रूप में चरणबद्ध तरीके से EMRS शिक्षकों के लिए अनुभवात्मक शिक्षण पद्धति के प्रशिक्षण में सहायता करेंगें।

7. JEE और NEET प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु EMRS के बारहवी विज्ञान कक्षा के छात्रों के लिए DAKSHANA एक वर्षीय आवासीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम

गत वर्ष NESTS ने, EMRS के आदिवासी छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु DAKSHANA संगठन द्वारा प्रायोजित "बारहवीं कक्षा के JEE और NEET उम्मीदवारों के लिए एक वर्षीय आवासीय छात्रवृत्ति कार्यक्रमष में भाग लेने का सुअवसर प्रदान करने के लिए सहयोग किया था। DAKSHANA, एक गैर-लाभकारी संगठन, पिछले 12 वर्षों से सरकारी स्कूलों के वंचित वर्गों के छात्रों को JEE / NEET /AIIMS प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त अनुशिक्षण छात्रवृत्ति सफलतापूर्वक प्रदान कर रहा है। प्रत्येक वर्ष आमतौर पर, 70% DAKSHANA प्रशिक्षित छात्रों को IIT, AIIMS, या सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाती है। सत्र 2021-22 में आयोजित DAKSHANA छात्रवृत्ति चयन संयुक्त परीक्षा में EMRS छात्रों की उत्साहपूर्ण प्रतिभागिता देखी गई। इस आवासीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए चयनित 12 EMRS छात्रों में से 6 छात्र DAKSHANA के पुणे घाटी परिसर में पढाई कर रहे हैं।

8. परीक्षा-पे-चर्चा- 2022

प्रत्येक वर्ष, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित परीक्षा-पे-चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ जीवन को उत्सव के रूप में मनाने तथा परीक्षा के तनाव को दूर करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। वर्ष 2021-22 में नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस अनोखे परस्पर संवादात्मक कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूली छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम का पांचवां संस्करण देश में कोविड-19 महामारी से उबरने और ऑफलाइन परीक्षाओं की वापसी के आलोक में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था।

चित्र 2.9 परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम-2022 में EMRS छात्रों की आभासी उपस्थिति की झलक

देश भर के EMRS छात्रों ने इस कार्यक्रम को virtual mode में उत्साहपूर्वक देखा। EMRS छात्रों और प्राचार्यों की परीक्षा के तनाव से निपटने के तरीके पर पीएम के सुझावों और सलाह को सुनने में गहरी दिलचस्पी, विभिन्न राज्यों के द्वारा साझा किए रिकार्डेड वीडियो, से झलकती है।

9. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार- 2021

इस वर्ष राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर से चयनित 44 उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), करपावंड, बस्तर, छत्तीसगढ़ के अंग्रेजी व्याख्याता श्री प्रमोद कुमार शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार - 2021 से सम्मानित किया गया। यह EMRS शिक्षकगण के लिए लगातार दूसरा पुरस्कार है और जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत स्थापित एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए विशेष महत्व रखता है। श्रीमती सुधा पेनुली, उप-प्राचार्य, EMRS-कलसी, देहरादून, उत्तराखंड को यह पुरस्कार 2020 में मिला था।

चित्र 2.10 श्री प्रमोद कुमार शुक्ला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार- 2021 प्राप्त करते हुए

पूरे भारत के 44 उत्कृष्ट चयनित शिक्षकों की सूची में श्री प्रमोद कुमार शुक्ला ने 3 चरण की कठिन ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया से गुजरने के बाद जगह बनाई। COVID-19 संकट के कारण, स्कूल के शिक्षकों और प्राचार्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी को प्रस्तुति दी। यह पुरस्कार नई दिल्ली से आयोजित सम्मान समारोह के माध्यम से चयनित शिक्षकों को, जो अपने-अपने राज्यों की राजधानियों से वस्तुतः शामिल हुए थे, प्रदान किया गया।

जनजातीय कार्य मंत्री (MoTA) श्री अर्जुन मुंडा ने उनकी उपलब्धि पर ट्वीट किया, 'यह EMRS के लिए गर्व का क्षण है। यह उपलब्धि संपूर्ण EMRS शिक्षकगण को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता दिखाने और आदिवासी छात्रों को प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करेगी। यह पुरस्कार आदिवासी छात्रों की शिक्षा में गुणवात्मक सुधार के लिए NESTS द्वारा किए गए ठोस प्रयासों का परिणाम है। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता और श्री बिश्वेश्वर टुडू ने श्री प्रमोद शुक्ला और संपूर्ण EMRS शिक्षकगण को बधाई दी और कहा कि इस तरह की उपलब्धियां दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य शिक्षकों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करेंगी। यह सर्वोच्च पुरस्कार सभी EMRS शिक्षकों और प्राचार्यों की पहचान है जो आदिवासी छात्रों को मानक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं। यह विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के कार्यान्वयन से शिक्षकों को सशक्त करने पर अधिक जोर दिया जाएगा क्योंकि NEP की अनुशंसाओं को लागू करने में उनका अहम् योगदान होगा। यह पुरस्कार आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित EMRS में प्रतिभाशाली और प्रतिबद्ध शिक्षकों के नेतृत्व में आ रहे गुणवत्तामक सुधार का प्रत्यक्ष संकेत है।

10. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के सहयोग से कौशल केंद्र उपक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में उल्लेख किया गया है कि, 2025 तक, कम से कम 50% शिक्षार्थियों के पास कौशल शिक्षा का अनुभव होना चाहिए। यह सरकार के लिए हर साल स्कूल तंत्र से बाहर बच्चों की संख्या का जायजा लेने वाला एक मजबूत तंत्र साबित हो सकता है। स्कूल-व्यापी शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है, चूँकि स्कूल कम उम्र के बच्चों के लिए संस्थान हैं अतः यह ड्रॉप-आउट छात्रों से कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए जुड़ सकते हैं। कौशल शिक्षा वयस्क शिक्षार्थियों, युवाओं और ड्रॉप-आउट छात्रों के लिए उनके रोजगार कौशल को बढ़ाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में उपलब्ध विभिन्न रोज़गारों के लिए एक सक्षम कुशल कार्यबल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

अपने मिशन को जारी रखते हुए, NESTS ने EMRS में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने के लिए CBSE और कौशल विकास मंत्रालय (Mo/SDE) के साथ सहयोग किया है। शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में कौशल केंद्र बनाने की पहल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 3.0 स्कीम के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा की जा रही है। PMKVY के तहत कौशल केंद्र पहल (स्किल हब इनिशिएटिव-SHI) का उद्देश्य साझा बुनियादी ढांचा तैयार करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाना और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सभी लक्ष्य खंड की जरूरतों को संबोधित करना है। कौशल केंद्रों में निम्न लक्षित वर्गों के लिए योग्यता आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल होगाः -

स्कूल के छात्र (छठी कक्षा से आगे):

- कक्षा 6-8वीं के छात्रों को व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण के लिए अभिविन्यास और अनुभव प्राप्त होगा (स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और स्थानीय विनिर्माण / प्रसंस्करण इकाइयों के दौरे के साथ बिन स्कूली बैग दिनों में)।
- कक्षा 9-12वीं के छात्रों को पाठ्यक्रम कार्य के रूप में समर्पित कौशल प्रयोगशालाओं तक पहुंच वाले की एक कौशल पेशकश की जाएगी।
- **स्कूल छोड़ने वाले**
  15-29 वर्ष के आयु वर्ग के बीच स्कूल (6वीं से 12वीं कक्षा में) छोड़ने वाले।
- **शिक्षा से बाहर**
  शिक्षा से बाहर के उम्मीदवार (15-29 वर्ष के आयु वर्ग के बीच)
  इसका उद्देश्य कौशल प्रमाणपत्र और शैक्षिक क्रेडिट को स्किलिंग/ री-स्किलिंग/ अप-स्किलिंग पाठ्यक्रम के साथ-साथ रोजगार से जोड़ना है।

चित्र 2.11 कौशल केंद्र अभिविन्यास कार्यशाला की झलक

EMRS के संदर्भ में, कौशल केंद्र पहल (स्किल हब इनिशिएटिव) के लिए नामांकित लगभग 50 EMRS के लिए कई अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। इन कार्यशालाओं का प्रयोजन स्कूलों को कार्यक्रम के उद्देश्यों से परिचित कराना और किसी भी स्तर पर आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना था।

अध्याय 3
ईएमआरएस-प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

(क) प्रस्तावना

प्रबंधन सूचना प्रणाली को योजना के एमआईएस के रूप में जाना जाता है, जोकि आज के परिवेश में अनिवार्य है। एमआईएस शिक्षा योजना एवं अन्य योजनाएं की दैनिक गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। वृहत्त आकड़ों का प्रसंस्करण करने की क्षमता एमआईएस की सबसे अच्छी विशेषता है। ईएमआरएस के विकास के साथ, प्रबंधन सूचना प्रणाली की अनिवार्य आवश्यकता महसूस की गई जो प्रगति पर नज़र रखने, क्षेत्र की समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक बन सकती है।

देश भर में ईएमआरएसएस के प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से, एनईएसटीएस को निधि की उपलब्धता, निधि हस्तांतरण, स्कूलों के निर्माण, शैक्षणिक गतिविधियों, मानव संसाधन की स्थिति आदि जैसी सूचनाओं की आवश्यकता महसूस हुई। प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने के लिए नियमित आधार पर एमआईएस में सूचना को एकत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) ईएमआरएस-एमआईएस के विकास में प्रगति

ईएमआरएस-एमआईएस के क्षेत्र में त्वरित प्रगति हुई है, जिसका बिंदुवार सारांश निम्नानुसार हैः

1. जनजातीय कार्य मंत्रालय के एनईएसटीएस और ईएमआरएस विभाग के मार्गदर्शन में ईएमआरएस-एमआईएस पोर्टल को पीरामल फाउंडेशन द्वारा विकसित किया जा रहा है। एनईएसटीएस और ईएमआरएस विभाग लगातार बैठकों के माध्यम से पीरामल टीम को मॉड्यूल डिजाइन और वेवसाइट को अद्यतन करने में आवश्यक सहयोग और सहायता प्रदान कर रहा है। एनईएसटीएस द्वारा परियोजना के विस्तार और इसे आगे विकसित करने और रख-रखाव के लिए कार्य आदेश पीरामल फाउंडेशन को जारी किया गया है।
2. ईएमआरएस की प्रगति/कार्यान्वयन स्थिति को देखते हुए विस्तृत दस्तावेज और रिपोर्टिंग प्रारूपों को ईएमआरएस दिशानिर्देश, एनईएसटीएस के उपनियमों और नियमों, नीति आयोग के स्कूल प्रदर्शन सूचकांक, यूडीआईएसई दस्तावेज आदि के अनुसार विकसित किया गया हैं।
3. विकसित मॉड्यूल स्कूल, छात्र और मानव संसाधन मॉड्यूल में जानकारी एकत्र की जा रही है।
4. स्कूल प्रिंसिपल और राज्य नोडल अधिकारियों को विकसित मॉड्यूल में डाटा एंट्री के लिए प्रशिक्षण प्रदान किए गए है।
5. सीपीडब्ल्यूडी और पीएसयू कार्मिकों से प्राप्त इनपुट और सुझावों के अनुसरण में निर्माण मॉड्यूल को अद्यतन किया जा रहा है।

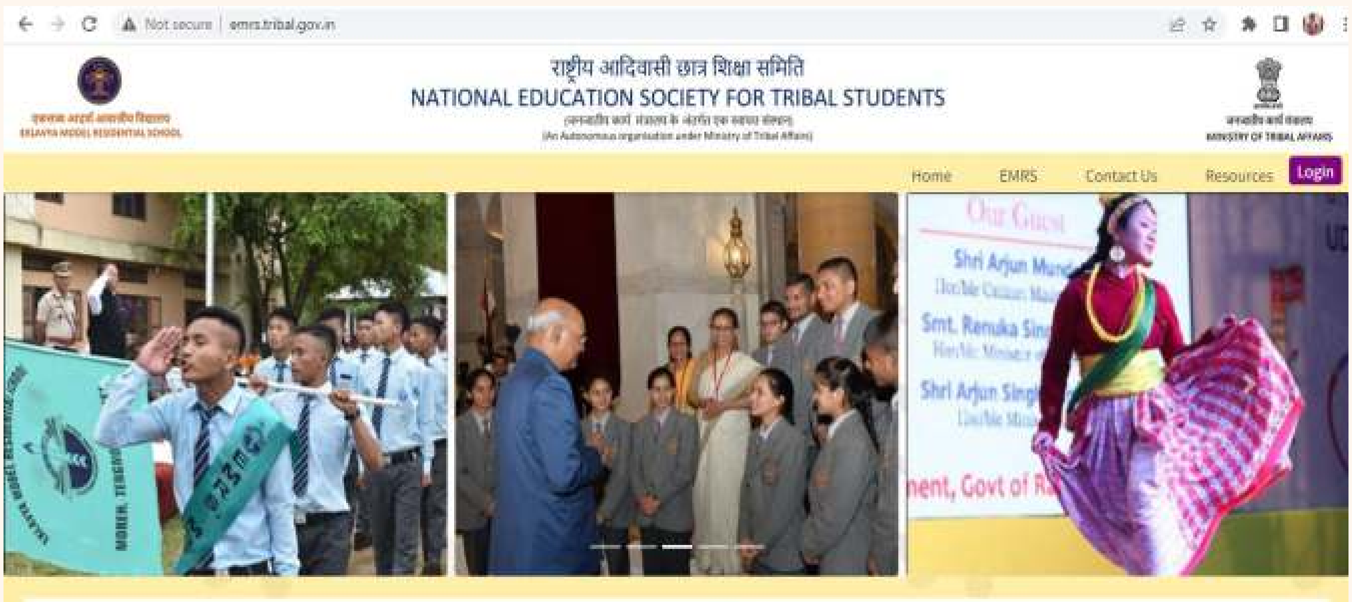

Not secure | emrs.tribal.gov.in/site/login
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति
NATIONAL EDUCATION SOCIETY FOR TRIBAL STUDENTS
(An Autonomous organisation under Ministry of Tribal Affairs)
EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
Home
EMRS
Contact Us
Resources
Login
Welcome to the Eklavya Model Residential School
Username
Password
Remember Me
Forgot password?
Login

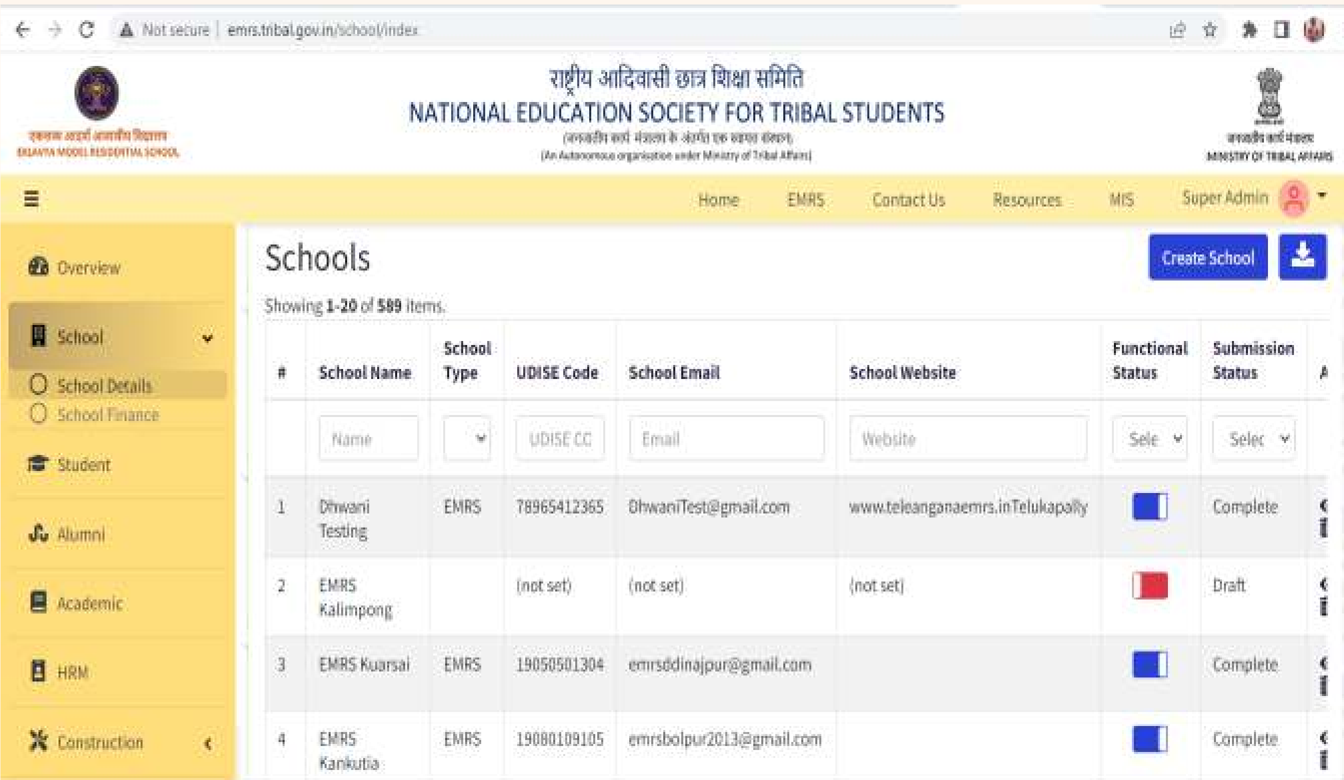
Not secure | emrs.tribal.gov.in/school/index
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति
NATIONAL EDUCATION SOCIETY FOR TRIBAL STUDENTS
(An Autonomous organisation under Ministry of Tribal Affairs)
EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
Home
EMRS
Contact Us
Resources
MIS
Super Admin
Overview
School
School Details
School Finance
Student
Alumni
Academic
HRM
Construction
Schools
Create School
Showing 1-20 of 589 items.
| School Name | School Type | UDISE Code | School Email | School Website | Functional Status | Submission Status
1 | Dhwani Testing | EMRS | 78965412365 | DhwaniTest@gmail.com | www.teleanganaemrs.inTelukapally | Complete
2 | EMRS Kalimpong | (not set) | (not set) | (not set) | Draft
3 | EMRS Kuarsai | EMRS | 19050501304 | emrsddinajpur@gmail.com | Complete
4 | EMRS Kankutia | EMRS | 19080109105 | emrsbolpur2013@gmail.com | Complete

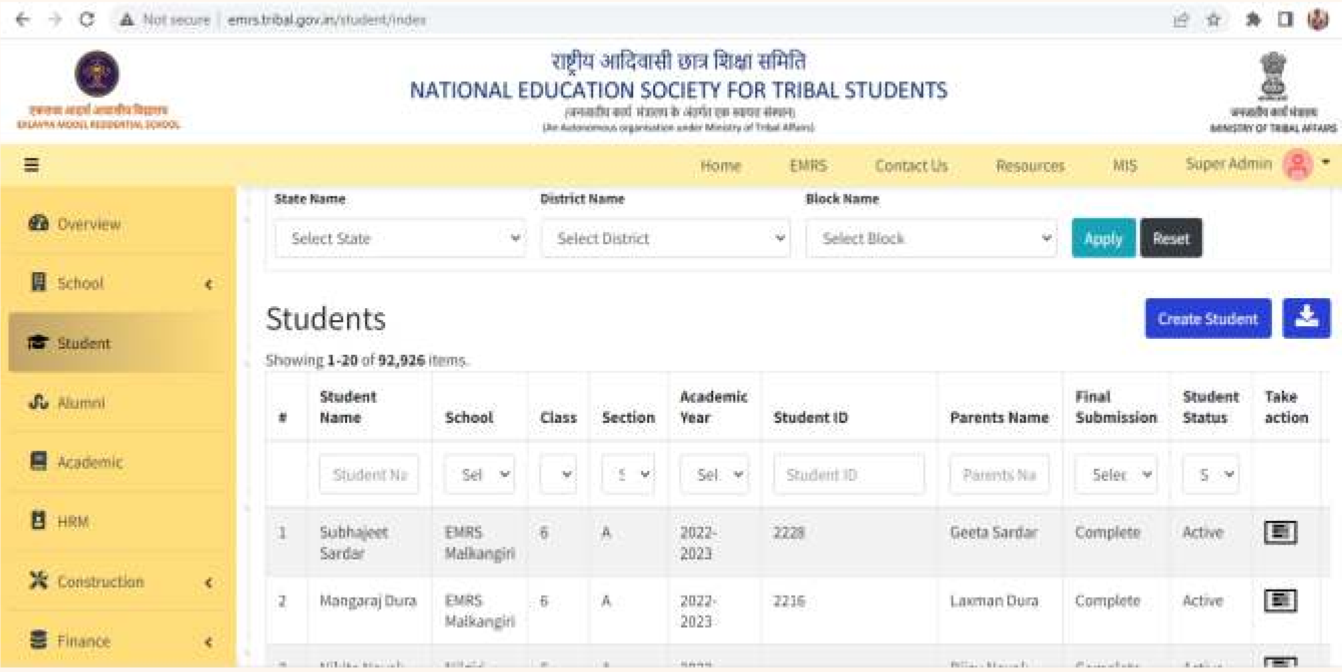

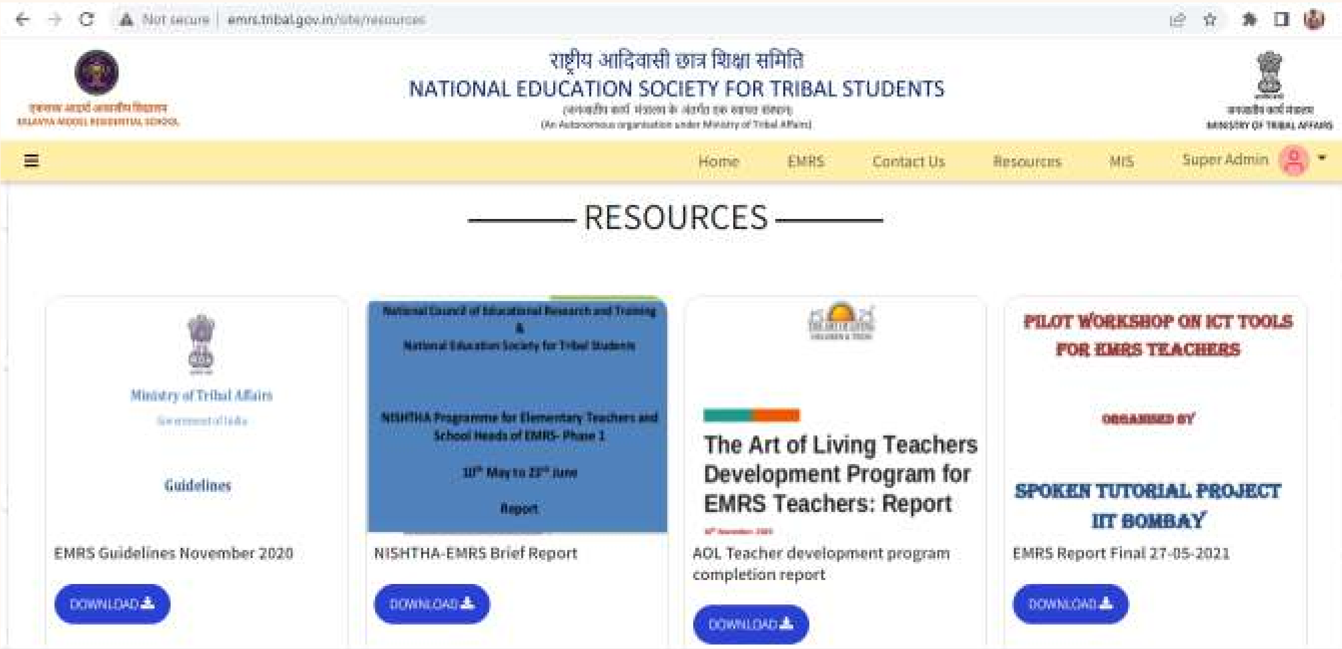

चित्र. 3.1: ईएमआरएस-एमआईएस वेवसाइट और पोर्टल की झलकियां

6. परिणाम डेसबोर्ड, वित्त मॉड्यूल, पूर्व छात्र मॉड्यूल इत्यादि की डिजाइन और संरचना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
7. राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं स्कूलों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और उन्हें कार्यात्मक मॉड्यूल पर जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए है। ईएमआरएस पर अब तक निम्नलिखित डेटा अपलोड किया गया है: -

- पोर्टल पर 321 ईएमआरएस सक्रिय है।
- ईएमआरएस के लगभग 3350 अध्यापन कर्मचारी और 2200 गैर- अध्यापन कर्मचारी की जानकारी मानव संसाधन मॉड्यूल पर उपलब्ध है।
- छात्र मॉड्यूल पर 87000 से अधिक विद्यार्थियों के प्रोफ़ाइल अपलोड किये गये है।

अध्याय 4
ईएमआरएस विद्यालयों का निर्माण कार्य

4.1 पृष्ठभूमि

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बुनियादी अवसंरचना एक महत्वपूर्ण कारक है। खेल और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना के साथ एक ईएमआरएस के निर्माण के लिए 15 एकड़ भूमि का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक ईएमआरएस अत्याधुनिक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं (इनडोर और आउटडोर), स्वच्छता और पेयजल सुविधा, प्राचार्य, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। आवासीय विद्यालय होने के कारण विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, रसोई एवं भोजन कक्ष तथा शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्यों को निर्विवाद उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने ईएफसी की सिफारिश के अनुसार विद्यालय परिसर के निर्माण हेतु मैदानी क्षेत्र के लिए 37.80 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के लिए 48 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है ; प्रति विद्यार्थी आवर्ती लागत और अन्य प्रावधानों को यथावत रखते हुए ईएमआरएस की योजना को 31.03.2026 तक जारी रखने के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिश को अनुमोदित किया है।

चित्र 4.1: ईएमआरएस बुत्तयागुदेम, आंध्र प्रदेश

4.2 विद्यालयों के निर्माण की समग्र प्रगति

सारणी 4.1: वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हुई समग्र प्रगति

	स्वीकृत विद्यालयों की संख्या	निर्माण कार्य पूर्ण	निर्माणाधीन	आरंभ हेतु शेष
वित्तीय वर्ष-2020-21	588	198	116	274
वित्तीय वर्ष-2021-22	681	214	210	257

राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार विवरण सारणी 4.2 में प्रस्तुत हैं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पुरानी योजना				नई योजना				योग			
		निर्माण कार्य पूर्ण	निर्माणाधीन	आरंभ हेतु शेष	योग	निर्माण कार्य पूर्ण	निर्माणाधीन	आरंभ हेतु शेष	योग	निर्माण कार्य पूर्ण	निर्माणाधीन	आरंभ हेतु शेष	योग
1	आंध्र प्रदेश	7	7	0	14	0	9	5	14	7	16	5	28
2	अरुणाचल प्रदेश	2	5	0	7	0	0	3	3	2	5	3	10
3	असम	0	4	0	4	0	1	5	6	0	5	5	10
4	बिहार	1	1	0	2	0	1	0	1	1	2	0	3
5	छत्तीसगढ़	24	1	0	25	0	8	40	48	24	9	40	73
6	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
7	गुजरात	21	4	3	28	0	0	13	13	21	4	16	41
8	हिमाचल प्रदेश	1	0	2	3	0	0	1	1	1	0	3	4
9	जम्मू एवं कश्मीर	2	2	2	6	0	0	0	0	2	2	2	6
10	झारखंड	13	9	1	23	0	31	33	64	13	40	34	87
11	कर्नाटक	12	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	12
12	केरल	2	0	2	4	0	0	0	0	2	0	2	4
13	लद्दाख	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	3	3
14	मध्य प्रदेश	31	1	0	32	0	14	23	37	31	15	23	69
15	महाराष्ट्र	11	2	5	18	0	4	14	18	11	6	19	36

16	मणिपुर	3	3	0	6	0	0	15	15	3	3	15	21
17	मेघालय	0	2	0	2	0	0	25	25	0	2	25	27
18	मिजोरम	6	0	0	6	0	5	6	11	6	5	6	17
19	नागालैंड	3	2	0	5	0	17	0	17	3	19	0	22
20	ओडिशा	27	0	0	27	0	33	44	77	27	33	44	104
21	राजस्थान	17	1	0	18	0	12	1	13	17	13	1	31
22	सिक्किम	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
23	तमिलनाडू	2	5	0	7	0	0	1	1	2	5	1	8
24	तेलंगाना	11	0	0	11	0	10	2	12	11	10	2	23
25	त्रिपुरा	4	3	0	7	0	8	6	14	4	11	6	21
26	उत्तर प्रदेश	2	2	0	4	0	0	0	0	2	2	0	4
27	उत्तराखंड	1	1	1	3	0	0	1	1	1	1	2	4
28	पश्चिम बंगाल	7	1	0	8	0	0	0	0	7	1	0	8
	योग	214	56	18	288	0	154	239	393	214	210	257	681

4.3 नई ईएमआरएस योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान क्रियाकलाप-वार प्रगति

सीसीईए के निर्णय अनुसार चिन्हित सभी 452 प्रखण्ड में विद्यालयों का निर्माण कार्य सीपीडब्ल्यूडी, केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार पीएसयू और राज्य सरकारों को आबंटित की गई है।

सारणी 4.3: नई योजना के अंतर्गत कार्यवार विवरण प्रगति

कार्यवार विवरण	राज्य	सीपीडब्ल्यूडी	पीएसयू	31.03.2022 तक प्रगति	31.03.2021 तक प्रगति	वर्ष के दौरान प्रगति
सीपीडब्ल्यूडी, राज्य एवं पीएसयू को आबंटित स्कूलों की संख्या	43	40	357	**440**		
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्कूलों की संख्या	43	40	310	393	300	**93**
भूमि अभिचिन्हित कर निर्माण कार्य हेतु उपयुक्तता का निर्धारण पश्चात औपचारिक स्वीकृति आदेश जारी	43	34	260	337	213	**124**
मास्टर लेआउट प्लान (केवल सीपीडब्ल्यूडी और पीएसयू) का अनुमोदन और प्रशासनिक अनुमोदन/ व्यय स्वीकृति (सीपीडब्ल्यूडी, राज्य और पीएसयू) जारी	43	35	164	242	131	**111**
निविदा खोली गई	43	31	117	191	77	**114**
कार्य प्रदत्त	43	30	106	179	49	**130**
कार्य आरंभ किया गया	43	29	82	154	48	**106**

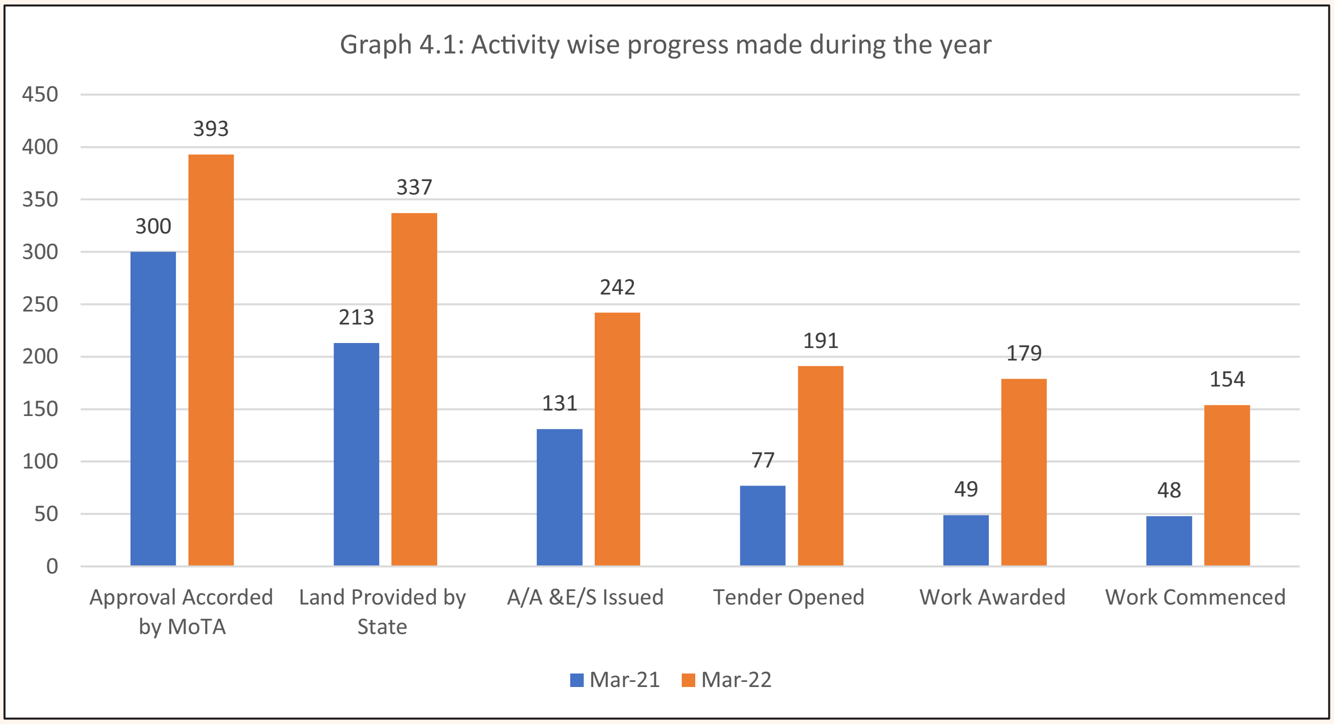

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, नई योजना के अंतर्गत कुल 393 स्वीकृत ईएमआरएस में से 154 स्थलों पर निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। वर्ष 2021-22 राज्य द्वारा प्रदत्त 124 भूमि स्थलों के साथ निर्माण कार्य की उल्लेखनीय गति का साक्षी बना, एनईएसटीएस द्वारा 137 ए/ए एवं ई/एस का अनुमोदन, 114 निविदाएं खोली गई और 130 कार्य प्रदान किए गए तथा 106 ईएमआरएस भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। चूंकि संसोधित लागत का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लंबित था इसलिए आरंभ में निर्माण कार्यो को 2 चरणों में किए जाने हेतु किया गया। अनुमोदित कुल 137 ए/ए एवं ई/एस में से 26 अनुमोदन ईएमआरएस (अर्थात राजस्थान-09, तेलंगाना-12 और आंध्रप्रदेश-05) के दूसरे चरण से संबंधित हैं।

ईएमआरएस भवनों का निर्माण

(क) प्रस्तावना

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उप-जिलों को अभिचिन्हित किया हैं जहां नये स्कूल खोले जाने हैं। इन स्कूलों को ईएमआरएस के लिए न्यूनतम 15 एकड़ और ईएमडीबीएस के लिए न्यूनतम 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इस भूमि को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी है। ईएमआरएस और ईएमडीबीएस के लिए अनुमोदित निर्माण अनुदान निम्नानुसार हैंः

1. एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल

हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर सहित स्कूल परिसर के लिए पूंजी लागत 20.00 करोड़ रुपये तक होगी जिसमें पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त 20 प्रतिशत तक का प्रावधान होगा। हालांकि 2021-22 के केंद्रीय बजट में ईएमआरएस की निर्माण लागत को मैदानी क्षेत्र के लिए 37.80 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 48 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की गई है।

2. एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल

अन्य सुविधाओं सहित स्कूल परिसर के लिए पूंजी लागत 14.00 करोड़ रुपये तक होगी जिसमें पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त 20 प्रतिशत तक का प्रावधान होगा।

3. खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र

खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने के लिए पूंजी लागत 5.00 करोड़ रुपये तक होगी जिसे विस्तृत डीपीआर के आधार पर और स्थायी समिति के अनुमोदन के पश्चात उत्तरोत्तर बढ़ाकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये किया जा सकता है।

(ख) निर्माण से संबंधित प्रमुख निर्णय

1. **सीसीईए निर्णय के अनुसार स्वीकृत स्कूलः**

i. सभी चिन्हित ब्लॉकों में निर्माण कार्य सीपीडब्ल्यूडी, केंद्र सरकार/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सरकारों के बीच नीचे दिए गए सारांश के अनुसार सौंपा गया हैः

सारणी 4.1ः निर्माण कार्य का सारांश

क्रम संख्या	कार्यान्वयन एजेंसी	स्कूलों की संख्या
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	370
2	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	40
3	राज्य सरकार	42
	कुल	**452**

ii. ईएमआरएसएस के निर्माण के लिए एनईएसटीएस और निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए।

1. टीसीआईएलः टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड
2. एचएससीएलः हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता
3. एनपीसीसीः राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
4. ईपीआईएलः इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली

5. वापकोस वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, गुरुग्राम
6. मेनडिकोः मणिपुर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मणिपुर
7. बी एंड आरः ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली
8. एमटीडीसीः मणिपुर आदिवासी विकास निगम लिमिटेड, मणिपुर

iii. मानक क्षेत्र, चित्रमय नक्शा, ऊंचाई, भवनों के हिस्से, मॉडल लेआउट आदि सहित ईएमआरएस के निर्माण के लिए मानदंड/आवश्यक विशेषताओं को एनईएसटीएस निर्माण विंग, सीपीडब्ल्यूडी, नवोदय विद्यालय समिति के इंजीनियरिंग सेल और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर मानकीकृत किया गया था।

सारणी 4.2 : निर्माण घटकों के लिए मानक क्षेत्र की आवश्यकताएं

क्रम संख्या	घटक	मानक क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
1	स्कूल भवन (जी+1)	2580
2	लड़कों का छात्रावास (जी+1)	2280
3	लड़कियों का छात्रावास (जी+1)	2280
4	वार्डन निवास (लड़कों का छात्रावास)	80
5	वार्डन निवास (लड़कियों का छात्रावास)	80
6	रसोई एवं भोजन हाल	550
7	प्रिंसिपल क्वार्टर 130	130
8	टाइप III क्वार्टर (जी+2)- 15 क्वार्टर	1200
9	टाइप II क्वार्टर (जी+2) - 10 क्वार्टर	700
10	गेस्ट हाउस 80	80
11	नाबदान 1 लाख लीटर	80
	सकल योग	**10040**

iv. परियोजनाओं के विकास को देखने, तकनीकी अनुवीक्षा और विभिन्न एजेंसियों को सौपें गए निर्माण कार्यों की निगरानी करने के लिए सेवानिवृत अभियंता को शामिल करके एक तकनीकी विंग की भी स्थापना की गई है।

v. एनईएसटीएस ने देश भर में ईएमआरएस के निर्माण कार्यों के मानकीकरण के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं :

1. भूमि उपयुक्तता और भूमि दस्तावेजों की जांच के लिए विस्तृत दिशानिर्देश।
2. मानदंडों का मानकीकरण, स्कूल भवन,छात्रावास, संकाय और कर्मचारी निवास, खेल गतिविधियों और बाह्य परिसर विकास इत्यादि के लिए विनिर्देश।
3. न्यूनतम 15 एकड़ भूमि मानदंड में छूट।
4. सीमित निधि के मद्देनजर निर्माण कार्य के चरणों को अंतिम रूप प्रदान करना।
5. ईएमआरएस कॉम्प्लेक्स के मास्टर लेआउट प्लान (डीएलपी) को तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और चेकलिस्ट जारी करना।
6. ईएमआरएस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और चेकलिस्ट।

4.4 ईएमआरएस के निर्माण के लिए भूमि अभिचिन्हित करने में प्रगति

देश भर में ईएमआरएस के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि को चिन्हित करना एक बड़ी चुनौती है। वन भूमि से संबन्धित मुद्दे, चिन्हित भूमि मे अतिक्रमण, एचटी/एलटी लाइन/खंबा, भूमि मे से गुजरने वाले नाला, पहाड़ी भूमि स्थानीय कठिनाइयां, असमान ढलाव भूमि जैसे विभिन्न भूमि मुद्दों को सफलतापूर्वक समाधान किया गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्यों द्वारा 130 ईएमआरएस के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की गयी है उनमें से 06 (गुजरात-01, झारखंड-01, केरल-01, महाराष्ट्र-02 और मणिपुर-01) पुरानी योजना के अंतर्गत और नई योजना के अंतर्गत 124 (आंध्र प्रदेश-02, अरुणाचल प्रदेश-02, छत्तीसगढ़-09, गुजरात-08, झारखंड-10, लद्दाख-01, मध्य प्रदेश-11, महाराष्ट्र-12, मणिपुर-06, मेघालय-10, मिजोरम-06, नागालैंड-03, ओडिशा-37, राजस्थान-01, त्रिपुरा-05, उत्तराखंड-01) प्रदान की गयी है।

4.5 तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन के लिए एनआईटी/आईआईटी के साथ त्रिपक्षीय समझौता

सीपीडब्ल्यूडी विशिष्टता/बीआईएस मानक और इंजीनियरिंग प्रणाली के अनुरूप गुणवत्ता और संरचनात्मक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए, एनईएसटीएस ने सीपीडब्ल्यूडी कार्य सूची 2014 के टीपीक्यूए प्रावधान के अनुपालन में एनआईटी/आईआईटी, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज एवं सीबीआरआई रुड़की के साथ तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन (टीपीक्यूए) के लिए त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित किया है। त्रिपक्षीय समझौता विवरण निम्नानुसार हैं :-

सारणी 4.4: एनईएसटीएस, टीपीक्यूए एजेंसी और पीएसयू के बीच टीपीक्यूए समझौता हस्ताक्षर का विवरण

राज्य का नाम	पीएसयू का नाम	स्कूलों के लिए समझौता हस्ताक्षर	टीपीक्यूए समझौता	टीपीक्यूए एजेंसी का नाम
आंध्र प्रदेश	ईपीआईएल	9	समझौता हस्ताक्षर	एनआईटी आंध्र प्रदेश
छत्तीसगढ़	एनपीसीसी	11	समझौता हस्ताक्षर	आईआईटी इंदौर
दादरा और नगर हवेली	एचएससीएल	1	समझौता हस्ताक्षर	एनआईटी पटना
झारखंड	बीएंडआर	15	समझौता हस्ताक्षर	एनआईटी जमशेदपुर
झारखंड	एचएससीएल	8	समझौता हस्ताक्षर	एनआईटी पटना
झारखंड	एनपीसीसी	23	समझौता हस्ताक्षर	आईआईटी इंदौर
ओडिशा	एचएससीएल	25	समझौता हस्ताक्षर	एनआईटी पटना
पश्चिम बंगाल	बीएंडआर	1	समझौता हस्ताक्षर	एनआईटी जमशेदपुर
	कुल	93		

4.6 आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शिलान्यास

आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में श्जनजातीय गौरव दिवसश (15 नवंबर 2021) को भोपाल से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली 50 ईएमआरएस की आधारशिला रखने के साथ निर्माण प्रक्रिया की गति को और तेज कर दिया गया है। इस वर्ष 90 से अधिक नए ईएमआरएस की आधारशिला रखी गई।

क. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा झारखंड में 20, ओडिशा में 15, आंध्र प्रदेश में 04, छत्तीसगढ़ में 04, महाराष्ट्र 03, मध्य प्रदेश में 02 और त्रिपुरा और दादरा और नगर हवेली में एक-एक - कुल 50 ईएमआरएस की आधारशिला रखी गई है।

चित्र 4.2: माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 15.11.2021 को 50 ईएमआरएस की आधारशिला रखी गई।

ख. श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा झारखंड में 10 और अरुणाचल प्रदेश में कुल 01-कुल 11 ईएमआरएस एवं श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा छत्तीसगढ में 01 ईएमआरएस की आधारशिला रखी गई।

चित्र 4.3 (क) श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा छत्तीसगढ के शिवपुर में ईएमआरएस की आधारशिला रखी गई एवं श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उपस्थित हुए।

चित्र 4.3 (ख) श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश के आलो में ईएमआरएस की आधारशिला रखी गई।

ग. श्री बिशेश्वर टुडू, माननीय जनजातीय कार्य और जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा ओडिशा में 23 ईएमआरएस की आधारशिला रखी गई।

चित्र 4.4: श्री बिशेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री (जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति) द्वारा ओडिशा के दबुगाव, नबरंगपुर में ईएमआरएस की आधारशिला रखी गई।

घ. अन्य महानुभावों द्वारा 06 से अधिक ईएमआरएस की आधारशिला रखी गई।

4.7 नए ईएमआरएस के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश/आदेश जारी किए गए

सारणी 4.5: निर्माण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश/परिपत्र/आदेश की सूची

क्र.सं.	जारी करने की तिथि	विषय
1.	09.08.2021 और 06.09.2021	ईएमआरएस के निर्माण गुणवत्ता में आगे सुदृढीकरण के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन (टीपीक्यूए)
2.	24.08.2021	भवनों के अनुविक्षित संरचनात्मक नक्शा प्रस्तुत किया गया।
3.	12.10.2021, 10.11.2021 और 17.01.2022 17.03.2022	अभियंताओं के फैलाव और गुणवत्ता योजना को प्रस्तुत करना।
4.	18.10.2021	ईएमआरएस भवनों के निर्माण के संबंध में समन्वित दिशानिर्देश-एमएलपी, डीपीआर, वस्तु कला संबंधी नक्शा (चरण-1), विनिर्देश, वगीकरण और सामान्य दिशानिर्देश।
5.	31.01.2022	तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन (टीपीक्यूए) और संरचनात्मक नक्शा का अनुवीक्षण को संलग्न करना।
6.	05.03.2022	सीपीडब्ल्यूडी के लिए ईएमआरएस के चरण-2 और चरण-1 निर्माण के लिए दिशानिर्देश
7.	30.03.2022	पीएसयू के लिए ईएमआरएस के चरण-2 और चरण-1 निर्माण के लिए दिशानिर्देश

4.8 अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत स्वीकृत ईएमआरएस का उन्नयन :-

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने प्रति स्कूल रु 5.00 करोड़ तक की प्रति यूनिट लागत के साथ संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के अंतर्गत स्वीकृत सभी 288 ईएमआरएस के उन्नयन को अनुमोदित किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 77 ईएमआरएस के लिए उन्नयन अनुदान पहले ही जारी किया जा चुका है। एनईएसटीएस शेष 211 ईएमआरएस के उन्नयन के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है।

★ एनईएसटीएस ने पुराने स्कूलों के विद्यमान अवसंरचना को नए ईएमआरएस मानकों के समकक्ष लाने के संबंध में उन्नयन हेतु निधि प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

- एनईएसटीएस द्वारा तैयार और साझा किए गए चेकलिस्ट के अनुसरण में राज्य में अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत स्वीकृत ईएमआरएस के उन्नयन के लिए प्रस्ताव को जमा करने के लिए प्रधान सचिवों को दिनांक 22.12.2021 को एक पत्र जारी किया गया।
- दिनांक 04.01.2022 को समीक्षा बैठक के दौरान ईएमआरएस के उन्नयन के लिए प्रस्ताव के संबंध में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र के सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श हुआ।
- ईएमआरएस के उन्नयन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में राज्य टीडब्ल्यूडी/ईएमआरएस सोसायटी को सम्पूर्ण सहायता प्रदान करने के संबंध में उपरोक्त राज्यों के सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को संबोधित करके दिनांक 11.01.2022 को एक पत्र जारी किया गया।
- दिनांक 22.01.2022 को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान असम, मिजोरम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान और ओडिशा राज्यों से अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत स्वीकृत ईएमआरएस के उन्नयन के लिए प्रस्ताव जमा करने का अनुरोध किया गया।
- पुराने ईएमआरएस के उन्नयन के लिए प्रस्ताव जमा करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी के राज्य प्रभाग को निर्देश जारी करने के लिए महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी को 07 फरवरी, 2022 को एक अनुरोध पत्र जारी किया गया
- 211 ईएमआरएस के संबंध में उन्नयन प्रस्ताव को शीघ्रतापूर्वक जमा करने के लिए राज्यों के प्रधान सचिवों को दिनांक 29.03.2022 को एक पत्र जारी किया गया।

सारणी 4.6: ईएमआरएस के उन्नयन के लिए प्रतिक्षित/अनुमोदित प्रस्तावों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उन्नयन के लिए ईएमआरएस की संख्या	एनईएसटीएस द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव
1	आंध्र प्रदेश	11	4
2	अरुणाचल प्रदेश	5	
3	असम	4	
4	बिहार	2	
5	छत्तीसगढ़	18	
6	गुजरात	26	
7	हिमाचल प्रदेश	2	
8	जम्मू एवं कश्मीर	6	
9	झारखंड	8	
10	कर्नाटक	9	
11	केरल	4	
12	लद्दाख	2	
13	मध्य प्रदेश	20	
14	महाराष्ट्र	18	1
15	मणिपुर	3	
16	मेघालय	2	
17	मिजोरम	4	
18	नागालैंड	2	

19	ओडिशा	27	
20	राजस्थान	9	
21	सिक्किम	3	
22	तमिलनाडू	7	
23	तेलंगाना	5	
24	त्रिपुरा	7	
25	उत्तर प्रदेश	4	
26	उत्तराखंड	2	
27	पश्चिम बंगाल	1	
	सकल योग	**211**	**5**

एनईएसटीएस द्वारा उन्नयन के लिए कुल 05 प्रस्ताव - आंध्र प्रदेश से 04 और महाराष्ट्र से 01 अनुमोदित किया गया है।

CHECK LIST - EMRS Upgradation				
State:		District:	Block:	
Year of Sanction:		Name of EMRS:		
Sl. No	Features	Provided with details (YES/NO)	Requirement by School with priority	Fund Required (In lakhs)
A	**Buildings**			
1	School Buildings			
1.1	Class Rooms- 16 Nos			
1.2	Science Labs-Phy, Chem & Bio-3 Nos			
1.3	Computer Lab			
1.4	Principal Chamber			
1.5	Library			
1.6	Office			
2	Boys' Hostel for 240 Students			
3	Girls' Hostel for 240 Students			
4	warden residence for Boys' Hostel			
5	warden residence for Girls' Hostel			
6	Kitchen & Dinning			
7	Principal Quarter			
8	Type III Quarters(G+1) 15 Nos Qtrs			
9	Type II Quarters (G+2) 10 Nos Qtrs			
B	DRINKING WATER			
1	Sump with pump room			
2	Deep Boring			
2	Provision of potable drinking water			
C	Electrical Work-			
1	Electrical Connection to EMRS compound, Transformer			
2	Electrical Fittings to all			
3	Street Lighting			
D	Compound Wall			
E	Roads (Minimum)			
F	Compound Development- Levelling, Drain, Sewage			
G	Furniture & Fittings			
1	School-			
1.1	Class Rooms' table & chairs.			
1.2	Science Labs,			
1.3	Computer Lab,			
1.4	Library			
1.5	Pricipals & Vice Principals' rooms			
2	Hostels			
2.1	Beds &, Mattresess			
2.2	Study Tables & Chairs			
2.3	Wardens' office			
3	Kitchen & Dinning			
3.1	Dinning Tables & Chairs,			
3.2	Cooking Equipments			
3.3	Cooking & Dinning utensils			
H	Repair and Mantonance to Existing Building			

4.9 ईएमआरएस के निर्माण से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श और प्रगति की निगरानी के लिए समीक्षा बैठक।

सारणी 4.7: एनईएसटीएस द्वारा आयोजित बैठकों की स्थिति

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बैठक का विवरण	अध्यक्षता	सहभागी
1	28.05.2021	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के लिए वर्चुअल बैठक	आयुक्त, एनईएसटीएस	निर्माण एजेंसियां :- टीसीआईएल, वापकोस, एनपीसीसी, एचएससीएल, बीएंडआर, एमटीडीसी, मेनडिको और ईपीआईएल
2	03.08.2021	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा	आयुक्त, एनईएसटीएस	निर्माण एजेंसियां :- टीसीआईएल, वापकोस, एनपीसीसी, एचएससीएल, बीएंडआर, एमटीडीसी, मेनडिको और ईपीआईएल
3	09.08.2021	राज्यों द्वारा ईएमआरएस के निर्माण के लिए राज्यों के साथ समीक्षा बैठक (पुरानी और नई)	आयुक्त, एनईएसटीएस	सभी संबन्धित राज्य
4	20.09.2021	ईएमआरएस के निर्माण से संबंधित भूमि मुद्दों पर विचार-विमर्श	आयुक्त, एनईएसटीएस	निर्माण एजेंसियां वापकोस और संबंधित राज्य एजेंसियां ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडू, मेघालय और छत्तीसगढ़
5	06.10.2021	ईएमआरएस के निर्माण से संबंधित भूमि मुद्दों पर विचार-विमर्श	आयुक्त, एनईएसटीएस	राज्यों के साथ बैठक :- मणिपुर, मेघालय, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य और संबंधित निर्माण एजेंसियां ईपीआईएल, मेनडिको, वापकोस, एमटीडीसी, एनपीसीसी और सीपीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र
6	08.11.2021	शिलान्यास स्थापना समारोह के संबंध में निर्माण एजेंसी के साथ विचार-विमर्श	आयुक्त, एनईएसटीएस	शिलान्यास स्थापना समारोह के संबंध में 07 निर्माण एजेंसियों और सीपीडब्ल्यूडी हैदराबाद के साथ बैठक
7	16.11.2021	भूमि मुद्दे के संबंध में टीसीआईएल और असम के साथ विचार-विमर्श	अपर आयुक्त, एनईएसटीएस	भूमि मुद्दे से संबंधित निर्माण एजेंसियां टीसीआईएल और असम राज्य के साथ बैठक
8	24.11.2021	सिविल विंग परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत दौरा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड निर्माण कार्य के संबंध में एचएससीएल और एनपीसीसी के साथ विचार-विमर्श	मुख्य अभियंता और परामर्शदाता, एनईएसटीएस	सिविल विंग परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत दौरा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में ईएमआरएस के निर्माण कार्य के संबंध में निर्माण एजेंसियां एचएससीएल और एनपीसीसी के साथ बैठक
9	01.12.2021	भूमि मुद्दे के संबंध में निर्माण एजेंसियों और राज्य के साथ विचार-विमर्श	आयुक्त, एनईएसटीएस	भूमि मुद्दे के संबंध में निर्माण एजेंसियां वापकोस, एनपीसीसी और ईपीआईएल और छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य के साथ बैठक

10	02.12.2021	संयुक्त आयुक्त, एनईएसटीएस	संयुक्त आयुक्त, एनईएसटीएस	भूमि मुद्दे के संबंध में निर्माण एजेंसियां टीसीआईएल, ईपीआईएल, मेनडिको और बीएंडआर और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मणिपुर और पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बैठक
11	06.12.2021	भूमि मुद्दे के संबंध में निर्माण एजेंसियों और राज्य के साथ विचार-विमर्श	आयुक्त, एनईएसटीएस	भूमि मुद्दे के संबंध में निर्माण एजेंसियां वापकोस, एचएससीएल, बीएंडआर और ओडिशा राज्य के साथ बैठक
12	07.12.2021	आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ईएमआरएस का उद्घाटन	आयुक्त, एनईएसटीएस	ईएमआरएस के उद्घाटन के लिए तत्परता के संबंध में राज्य के साथ बैठक
13	17.12.2021	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा	आयुक्त, एनईएसटीएस	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में वापकोस के साथ बैठक
14	20.12.221	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा	आयुक्त, एनईएसटीएस	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में एमटीडीसी और मेनडिको के साथ बैठक
15	21.12.2021	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा	अपर आयुक्त, एनईएसटीएस	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में बीएंडआर और टीसीआईएल के साथ बैठक
16	22.12.2021	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा	आयुक्त, एनईएसटीएस	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में ईपीआईएल के साथ बैठक
17	24.12.2021	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा	अपर आयुक्त, एनईएसटीएस	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में एचएससीएल के साथ बैठक
18	28.12.2021	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा	अपर आयुक्त, एनईएसटीएस	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में एचएससीएल के साथ बैठक
19	04.01.2022	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा	अपर आयुक्त, एनईएसटीएस	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना, त्रिपुरा,जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के सीपीडब्ल्यूडी के कार्मिकों के साथ बैठक
20	22.01.2022	राज्यों द्वारा निर्मित नए ईएमआरएस के निर्माण की समीक्षा करने के लिए राज्य के साथ समीक्षा बैठक	अपर आयुक्त, एनईएसटीएस	असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, नागालैंड और ओडिशा के साथ बैठक
21	03.02.2022	गुजरात और महाराष्ट्र के साथ समीक्षा बैठक	आयुक्त, एनईएसटीएस	भूमि मुद्दे के संबंध में ईपीआईएल, सीपीडब्ल्यूडी और गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के साथ बैठक

22	21.02.2022	भूमि मुद्दे के संबंध में झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ बैठक	अपर आयुक्त, एनईएसटीएस	भूमि मुद्दे के संबंध में झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ बैठक
23	28.02.2022	बीएंडआर लिमिटेड के साथ बैठक	आयुक्त, एनईएसटीएस	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में बीएंडआर के साथ बैठक
24	28.02.2022	टीसीआईएल लिमिटेड के साथ बैठक	आयुक्त, एनईएसटीएस	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में टीसीआईएल के साथ बैठक
25	28.02.2022	ईपीआईएल लिमिटेड के साथ बैठक	आयुक्त, एनईएसटीएस	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में ईपीआईएल के साथ बैठक
26	03.03.2022	एनपीसीसी लिमिटेड के साथ बैठक	अपर आयुक्त, एनईएसटीएस	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में एनपीसीसी के साथ बैठक
27	08.03.2022	मेनडिको लिमिटेड के साथ बैठक	अपर आयुक्त, एनईएसटीएस	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में मेनडिको के साथ बैठक
28	09.03.2022	सीपीडब्ल्यूडी के साथ बैठक	आयुक्त, एनईएसटीएस	ईएमआरएस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के संबंध में आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना और त्रिपुरा के सीपीडब्ल्यूडी के कार्मिकों के साथ बैठक
29	16.03.2022	वापकोस के साथ बैठक	आयुक्त, एनईएसटीएस	धीमी प्रगति और अन्य मुद्दों के संबंध में अध्यक्ष वापकोस के साथ बैठक
30	28.03.2022	ओएमटीईएस और संबन्धित पीएसयू के साथ बैठक	निर्देशक, ओएमटीएस	भूमि मुद्दे के संबंध में ओडिशा जिले के डीडब्ल्यूओ के साथ बैठक का आयोजन

चित्र 4.6: निर्माण एजेंसी के साथ समीक्षा बैठक

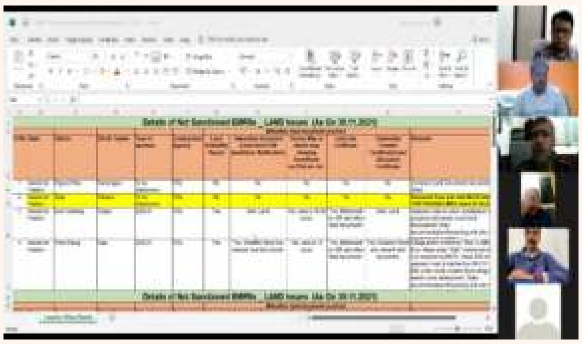

चित्र 4.7: भूमि मुद्दे से संबंधित बैठक

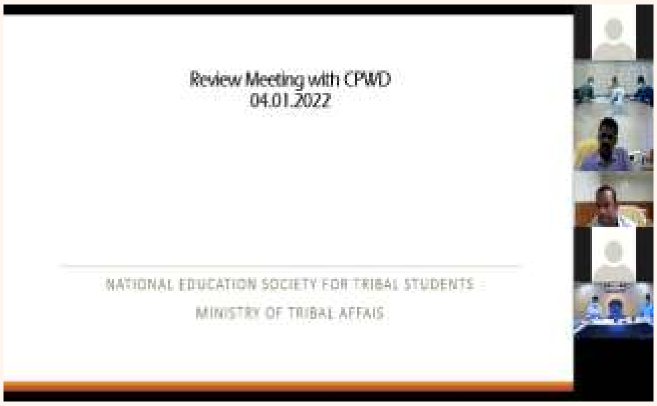

चित्र 4.8: निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी के साथ बैठक

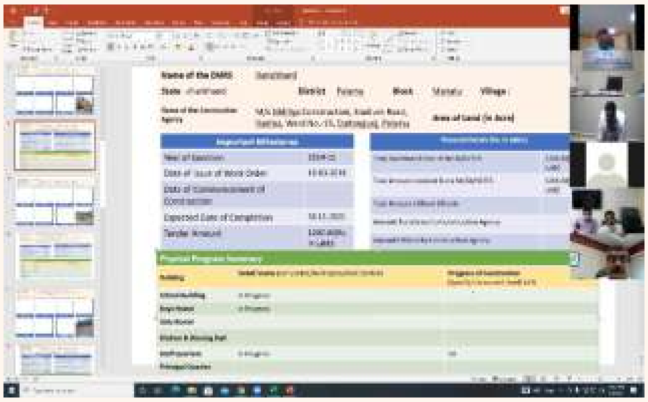

चित्र 4.9: निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के संबंध में राज्य के साथ बैठक

4.10 एनईएसटीएस टीम द्वारा ईएमआरएस के जारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण

एनआईटी/आईआईटी द्वारा तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन के बावजूद एनईएसटीएस गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को देखने के लिए निर्माणाधीन स्थलों को एनईएसटीएस के सिविल टीम द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जाता है। एनईएसटीएस सिविल टीम द्वारा झारखंड, ओडिशा और मणिपुर राज्य में 20 स्थलों से अधिक का दौरा किया गया है। इन दौरों से गुणवत्ता नियंत्रण उपायों में सुधार होता है एवं सुदृढ़ता आती है।

4.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण एजेंसियां (राज्य, पीएसयू और सीपीडब्ल्यूडी) को जारी निधियों का विवरण

तालिका : वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निधि जारी करने की स्थिति

सीसीए भुगतान सारांश एजेंसी के अनुसार –2021–22

राज्य		बी एंड आर	सीपीडब्ल्यूडी फेज–1	सीपीडब्ल्यूडी फेज–2	राज्य सरकार	ईपीआईएल	एचएससीएल	मेनीडको	एमटीडीसी	एनपीसीसी	टीसीआईएल	वेपकोस	पुराने ईएमआरएस (सीएन)	उन्नयन	कुल योग
आंध्रप्रदेश	2021–22		6450.00	2727.83		416.30								661.02	10,255.15
अरुणाचल प्रदेश	2021–22														
असम	2021–22				800.00								1000.00		1,800.00
बिहार	2021–22														
छत्तीसगढ़	2021–22									3,552.41					3,552.41
दादर और नागर हवेली और दमन और दीव	2021–22						194.00								194.00
गुजरात	2021–22					60.00									60.00
हिमाचल प्रदेश	2021–22														
झारखंड	2021–22	401.66					2623.40			6560.70	40.00	30.00			9,655.76
लद्दाख	2021–22									10.00					10.00
मध्य प्रदेश	2021–22				3500.00					60.00					3,560.00
महाराष्ट्र	2021–22		1126.60			100.75								166.39	1,393.74
मणिपुर	2021–22							60.00							60.00
मेघालय	2021–22							100.00					1000.00		1,100.00
मिजोरम	2021–22				5000.00										5,000.00
नागालैंड	2021–22				8770.00										8,770.00
ओडिशा	2021–22	130.00			2000.00		4410.24					19.17			6,559.41
राजस्थान	2021–22		6740.00	4500.00	1564.00										12,804.00
तमिलनाडु	2021–22														
तेलंगाना	2021–22		8550.00	6000.00											14,550.00
त्रिपुरा	2021–22		4600.00					50.00							4,650.00
उत्तर प्रदेश	2021–22												107.85		107.85
उत्तराखण्ड	2021–22									10.00					10.00
पश्चिम बंगाल	2021–22														
कुल 2021–22	2021–22	531.66	27466.60	13227.83	21634.00	577.05	7227.64	210.00	–	10,193.11	40.00	49.17	2107.85	827.41	84,092.32

अध्याय 5
प्रशासन और मानव संसाधन

22 दिसंबर, 2020 को माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा सचिव (जनजातीय कार्य), एनईएसटीएस और ईएमआरएस, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग पर स्थित राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के कार्यालय का उदघाटन किया गया।

1. एनईएसटीएस में पदों को भरना

(क) एनईएसटीएस के कर्मचारी

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा एनईएसटीएस के लिए कुल 28 पदों को अनुमोदित किया गया था।

28 में से 7 पदों को सक्षम अधिकारी के साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया है। प्रतिनियुक्ति द्वारा 3 अन्य पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

28 में से सहायक आयुक्त के 3 पद और एमटीएस के 3 पदों को नियमित आधार पर भरा गया। कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक ग्रेड-I एवं II और कार्यालय सहायक की भर्ती के लिए दक्षता परीक्षण करवाया गया है और भर्ती प्रक्रियाधीन हैं।

(ख) एनईएसटीएस में कर्मचारियों की स्थिति (तिथि के अनुसार)

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	व्यय विभाग द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या	स्थिति
1	आयुक्त	एल-14	01	प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया
2	अपर आयुक्त (निदेशक स्तर)	एल-13	01	प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया
3	संयुक्त आयुक्त (अपर सचिव स्तर)	एल-12	02	प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया
4	उपायुक्त (उप-सचिव स्तर)	एल-11	02	प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया
5	सहायक आयुक्त (अनुभाग अधिकारी स्तर)	एल-8	04	01 प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया 02 सीधी भती के माध्यम से भरा गया। 01 चयनित अभ्यथी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है।
6	आयुक्त के निजी सचिव	एल-7	01	रिक्त (प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाना है)
7	कार्यालय अधीक्षक (एएसओ स्तर)	एल-7	04	02 रिक्त(प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाना है) 02 रिक्त (दक्षता परीक्षण किया गया और साक्षात्कार किया जाना है।)
8	अपर आयुक्त के लिए आशुलिपिक ग्रेड-I	एल-6	01	रिक्त (दक्षता परीक्षण किया गया।)

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	व्यय विभाग द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या	स्थिति
9	संयुक्त आयुक्त के लिए आशुलिपिक ग्रेड-II	एल-4	02	रिक्त (दक्षता परीक्षण किया गया।)
10	कार्यालय सहायक (यूडीसी स्तर)	एल-4	04	रिक्त (दक्षता परीक्षण किया गया।)
11	बहु-कार्य कर्मचारी	एल-1	06	सभी 6 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। 3 ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
Total			**28**	

2. राज्य ईएमआरएस सोसायटी

यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए थे कि प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश जिनके पास ईएमआरएस है/ ईएमआरएस स्थापित करने के लिए पात्र है, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर की ईएमआरएस सोसायटी की स्थापना करें। तदनुसार, राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तरीय ईएमआरएस सोसायटी की स्थापना 28 राज्यों में संघ शासित राज्य 27 राज्यों में की गई हैं।

3. राज्य समितियों के साथ समझौता ज्ञापन

राज्यों को ईएमआरएस योजना में शामिल करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश ईएमआरएस सोसायटी और एनईएसटीएस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। समझौता ज्ञापन मूल रूप से ईएमआरएस के पुनरुत्थान कार्यक्रम को लागू करने में एनईएसटीएस और राज्य/संघ शासित प्रदेश ईएमआरएस सोसायटियों की भूमिका और जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करता है। 25 राज्यों ने एनईएसटीएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य-वार विवरण अनुलग्नक -1 में प्रस्तुत है।

4. आजादी का अमृत महोत्सव

हमारा देश भारत की स्वतंत्रता की 75 वां वर्षगांठ मना रहा है। इसका उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम की एक श्रृंखला की योजना बनाई गयी है। ईएमआरएस के अंतर्गत पोस्टर बनाना, पैराग्राफ लेखन, भाषण, नाटक मंचन इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

6. ईएमआरएस के विद्यार्थियों के लिए गणवेश डिजाइन करना

खादी को दर्शन के रूप में और आत्म निर्भर भारत के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में और वोकल फॉर लोकल को अपनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमटीए) ने खादी ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। एनआईएफटी, नई दिल्ली को EMRS और EMDBS के गणवेश में एकरूपता लाने के लिए विद्यार्थियों के लिए गणवेश का डिजाइन बनाने का कार्य सौपा गया था। डिजाइन निर्धारित किए गए और विशिष्टताओं के साथ निर्धारित डिजाइन राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया था।

7. ईएमआरएस और ईएमडीबीएस का स्वीकृत कार्य

देश में संचयी रूप में 681 ईएमआरएस संस्वीकृत किए गए है, जिनमें से 384 आरंभ हो गए है।

8. शासी निकाय की बैठक

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 25 जून 2021, 30 जुलाई 2021 और 19 जनवरी 2022 के दौरान शासी निकाय की तीन बैठकें आयोजित की गई।

अध्याय 6
वित्त

वित्तीय वर्ष 2021-22 की वित्तीय स्थिति का सारांश निम्नानुसार हैः

(आंकड़े रुपये में)

जीआईए शीर्ष	01.04.2021 की स्थिति के अनुसार आरंभिक राशि	प्राप्त निधि	भुगतान	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार शेष राशि
सीसीए	96,04,62,354	756,74,00,000	840,91,36,612	11,87,25,742
जीआईए जनरल	183,03,13,756	300,00,00,000	480,45,96,420	2,57,17,336
वेतन	82,11,783	1,00,00,000	1,40,34,028	41,77,755
कुल	279,89,87,893	1057,74,00,000	1322,77,67,060	14,86,20,833

वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जनजातीय छात्रों के लिए शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) के लेखों पर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट :-

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाते का ऑडिट किया है। ऑडिट 2024-25 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण एनईएसटीएस के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर हैं। कानून, नियमों और विनियमों (उचितता और नियमितता) और दक्षता–सह–प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अलग से निरीक्षण रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त है। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। ऑडिट में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आंकलन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

(i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी प्राप्त कर ली है।

(ii) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।

(iii) हमारी राय में, एनईएसटीएस द्वारा लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव किया गया है, जहां तक इन लेखा पुस्तकों के जांच से पता चलता है।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं किः

क) आय और व्यय खाता–

1. मूल्यह्रास – रू. 36.65 लाख

1.1 एनईएसटीएस ने सीपीडब्ल्यूडी को 2020–21 के दौरान जीवन तारा भवन में कार्यालय स्थान के नवीनीकरण कार्यों को करने के लिए 118.52 लाख का अग्रिम भुगतान किया है। एनईएसटीएस ने अक्टूबर 2020 को कार्यालय स्थान अधिकृत किया लेकिन 2021–22 के दौरान इसे पूंजीकृत किया गया। अतः मूल्यह्रास अक्टूबर, 2020 से मार्च 2021 की अवधि को शामिल करते हुए एक वर्ष एवं 6 माह के लिए 10% की दर से लगाया जाना चाहिए था। किंतु, मूल्यह्रास केवल चालू वर्ष के लिए लगाया गया है। इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्र्रास 5.32 लाख रुपये से कम और अचल संपत्तियां इसी राशि से अधिमूल्यांकित हुई है।

ख) सहायता अनुदान

2021-22 के दौरान जनजातीय मामलों के मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान 1057.74 करोड़ रुपये था और पिछले वर्ष की शेष राशि 279.90 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, उपलब्ध कुल निधि 1337.64 करोड़ रुपये थी और एनईएसटीएस ने 14.86 करोड़ रुपये की शेष की राशि को छोड़कर (निर्माण के लिए 1162. 57 करोड़ रुपये की राशि के असमायोजित अग्रिम को छोड़कर) 1322.78 करोड़ रुपये का उपयोग किया।

ग) प्रबंधन पत्र

कमियाँ, जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से एनईएसटीएस के ध्यान में लाया गया है।

(v) पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाता इस रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत खाता पुस्तकों के अनुरूप है।

(vi) हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और खातों की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं, और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इसके साथ सलंग्न अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन है।

अ. जैसा कि यह 31 मार्च 2022 तक जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी एनईएसटीएस के मामलों की स्थिति की बैलेंस शीट से संबंधित है।

ब. जहां तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कमी के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

लेखा परीक्षक महानिदेशक(सीई)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः _.09.2022

अनुलग्नकः

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**
   कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग या प्रकोष्ठ नहीं है। एनईएसटीएस की स्थापना के बाद से कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई थी।

2. **आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता**
   लेखा परीक्षा द्वारा अवलोकन किए गए क्षेत्र के संबंध में आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त था।

3. **संपत्ति के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
   वर्ष 2021–22 के दौरान संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया गया है।

4. **स्टॉक के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**
   वर्ष 2021–22 के लिए गैर–उपभोग्य सामग्रियों का भौतिक सत्यापन किया गया है लेकिन उपभोग्य सामग्रियों का भौतिक सत्यापन किया जाना बाकी है।

5. **देय राशि के भुगतान में नियमितता**
   खातों के अनुसार, 31.03.2022 को सांविधिक देय राशियों के संबंध में छः माह से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

अनुलग्नक :

(संदर्भः डी.ओ. पत्र संख्या एएमजी– I/5-71/एसएआर/एनईएसटीएस/2022-23/537 दिनांक 26.09.2022)

1. प्राप्ति और भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में, 52.27 लाख रु. की अचल संपत्तियों के अलावा वेब डिजाइनिंग का 14.84 लाख रु. का खर्च शामिल है जो एक अमूर्त संपत्ति है। मूर्त और अमूर्त संपत्ति पर खर्च अलग से प्रकट किया जाना चाहिए।

2. वार्षिक खातों में केवल एनईएसटीएस के आयुक्त और चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के हस्ताक्षर होते हैं हालांकि, वार्षिक खातों पर कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए अर्थात् एक वित्त विभाग से और दूसरा सक्षम अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत है। इसके अलावा, वार्षिक खातों में सीए फर्म के हस्ताक्षर और मुहर नहीं होनी चाहिए क्योंकि सीए केवल आंतरिक लेखा परीक्षक/ खातों के संकलनकर्ता के रूप में काम कर सकता है।

संजय पांडे एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति
जीवन तारा बिल्डिंग, अशोका रोड
नई दिल्ली –110001

हमने **आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी** के साथ में वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते का विवरण, वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों का सारांश शामिल हैं।

हमारे विचार में, 31 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार, संलग्न वित्तीय विवरण सोसायटी की वित्तीय स्थिति और उस वर्ष के लिए उसके वित्तीय प्रदर्शन का एक सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकंन मानकों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

मत का आधार

हमने अपना ऑडिट आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों (SAs) के अनुसार किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समाज से स्वतंत्र है और हमने आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रबंधन की जिम्मेदारियां और वित्तीय विवरणों के लिए शासन के साथ जो आरोप लगाए गएः

सोसायटी का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार मामलों की स्थिति, संचालन के परिणाम और सोसायटी के नकदी प्रवाह का एक सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो एक सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और जो गलत तथ्यों से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन समिति को चालू व्यापार अवधारणा के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए, जैसा लागू हो, चालू व्यापार से संबंधित मामलों और लेखांकन के चालू व्यापार आधार के प्रयोग हेतु जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो समिति को समाप्त करने या इसका संचालन बंद करने का इरादा ना रखता है या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। प्रबंधन सोसायटी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां:

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAs के अनुसार प्रदत्त एक ऑडिट हमेशा गलत विवरण का पता लगाएगा जब यह मौजूद हो। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं।

- वित्तीय विवरणों में गलत तथ्यों के जोखिमों का पहचान और उनका आकलन करते हैं चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

- धोखाधड़ी से उत्पन्न गलत तथ्यों का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप उत्पन्न जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण अवहेलना शामिल हो सकता है।

- ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो न कि सोसायटी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने में।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के आधार पर जारी विषय के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, चाहे एक सामग्री अनिश्चितता घटनाओं या स्थितियों से संबंधित मौजूद हो जो सोसायटी को मौजूदा विषय के अनुसार जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासे पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है अथवा, यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित कर सकते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण विषय के रूप में जारी रखने के लिए सोसायटी को स्थगित कर सकता है।

हम अन्य मामलों के संबंध में, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में शासन के आरोपितों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां, जिन्हें हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित करते हैं, को शामिल करते हैं।

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)
फर्म रजि. नं.– 023752एन

संजय कुमार पांडे
(प्रोपराइटर)
सदस्यता सं.– 517024
यूडीआईएन–22517024एकेएलईईआई9002

स्थानः– दिल्ली
दिनांकः–07/06/2022

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति			
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट			
			(राशि - रू.)
कॉर्पस/पूंजीगत निधि और देयताएं	**अनुसूची नं.**	**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
कॉर्पस/पूंजीगत निधि	1	-	-
आरक्षित और अधिशेष	2	12,602,343,843	4,298,644,834
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	148,620,833	2,798,987,893
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	52,673,258	3,114,843
कुल		**12,803,637,934**	**7,100,747,570**
संपत्ति			
अचल संपत्ति	8	966,894,089	7,863,950
निवेश–निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-
निवेश–अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	11,836,743,845	7,092,883,620
विविध व्यय (उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में समायोजित नहीं किया गया है)			
कुल		**12,803,637,934**	**7,100,747,570**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां	24 25		

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

(राशि –रू.)

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति			
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा			
			(राशि - रू.)
आय	**अनुसूची**	**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी	13	4,880,959,000	-
शुल्क/सदस्यता	14	-	-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती से निवेश की आय फंड को फंड में स्थानान्तरित किया गया)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	149,845,582	43,109,050
अन्य आय	18	-	3,423,050
तैयार माल और प्रगति में कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/कमी	19	-	-
कुल (क)		**5,030,804,582**	**46,532,100**
खर्च			
स्थापना व्यय	20	14,034,028	6,504,271
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	297,008,446	44,526,623
अनुदान,सब्सिडी आदि पर व्यय	22	4,566,251,404	-
ब्याज	23	192,954,632	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल योग–अनुसूची 8 के अनुरूप)		3,665,123	1,608,779
कुल (ख)		**5,073,913,632**	**52,639,673**
व्यय से अधिक आय का शेष होना (क-ख) विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण		(43,109,050)	(6,107,573)
शेष राशि अधिशेष/(घाटा) को कॉर्पस/पूंजीगत निधि में ले जाया गया			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां	24 25		

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति					
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान					
					(राशि– रू.)
प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
I. प्रारंभिक शेष			**I. व्यय**		
क) रोकड़ शेष	-	-	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	1,30,53,092	58,14,628
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुरूप)	20,96,34,452	4,21,01,423
i) चालू खातों में	-	-			
ii) जमा खातों में	-	-	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान**		
iii) बचत खाते	2,84,54,48,043	16,19,50,470	ईएमआरएस सोसाइटी को आवर्ती निधि स्थानांतरित	4,56,62,51,404	5,05,77,24,000
II. अनुदान प्राप्ति			ईएमआरएस में स्थानांतरण –सीसीए	2,37,41,85,000	2,10,76,74,000
क) भारत सरकार की ओर से	10,57,74,00,000	11,99,97,88,000	पीएसयू और सीपीडब्ल्यूडी में स्थानांतीण–सीसीए	5,08,93,35,732	2,05,08,25,000
ख) राज्य सरकार की ओर से	-	-			
स) अन्य स्त्रोतों से (विवरण)	-	-	**III. निवेश और जमा किए गए**		
(पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान– अलग से दिखाया गया)	-	-	क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि में से	-	-
III. निवेश की आय			ख) स्वंय की निधि में से (निवेश–अन्य)	-	-
क)निर्धारित/बंदोबस्ती फंड	-	-			
ख) स्वंय के फंड (अन्य निवेश)	-	-	**IV. अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य–प्रगति पर व्यय**		
IV. ब्याज प्राप्ति			क) अचल संपत्तियों का क्रय	52,27,564	94,72,728
			ख) पूंजीगत कार्य–प्रगति पर व्यय–वेबसाइट डिजाइनिंग	-	-
क) बैंक जमा पर	14,98,45,582	4,31,09,050	ग) पूंजीगत कार्य–प्रगति पर व्यय–ईएमआरएस	94,56,15,880	-

ख) ऋण, अग्रिम इत्यादि	-	-			
V. अन्य आय (निर्दिष्ट)			**V. अधिशेष धन / ऋण की वापसी**		
क) आवेदन शुल्क	12,867	34,23,050	क) भारत सरकारको (सीएफआई को वापस किया गया ब्याज)	16,67,54,304	-
ख) एमओटीए व्यय के लिए	-	12,88,000	ख) राज्य सरकार को	-	-
			ग) निधि के अन्य प्रदाताओं केलिए	-	-
VI. उधार ली गई राशि	-	-	**VI. वित्त प्रभार (ब्याज)**	-	-
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण)			**VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट)**		
क) इम्प्रेस्ट शेष की प्राप्ति	3,565	-	क) माल, सेवाओ, सांविधिक देय राशि आदि के लिए भुगतान	10,54,529	9,04,94,519
			ख) बैंक प्रभार	10,852	4,229
			ग) आवेदन शुल्क	56,900	-
			VIII. अंतिम शेष		
			क) रोकड़ शेष	-	-
			ख) बैंक शेष	-	-
			i) चालू खातों में	-	-
			ii) जमा खातों में	-	-
			iii) बचत खाता	20,15,30,348	2,84,54,48,043
कुल	**13,57,27,10,057**	**12,20,95,58,570**	**कुल**	**13,57,27,10,057**	**12,20,95,58,570**

नोटः–

1) स्थापना व्यय अनुसूची–20 के अनुसार 1,40,34,028/– रुपये है जिसमें 31.03.2022 को देय वेतन 8,43,350 रुपये और ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का 1,37,586 रुपये का प्रावधान सम्मिलित है।
2) व्यवस्थापक व्यय अनुसूची–21 के अनुसार 29,70,08,446 रुपये है जिसमें 31.03.2022 को देय राशि 2,54,91,994 रुपये और गत वर्ष के दौरान खादी ग्राम उद्योग को 6,18,82,000 रुपये का भुगतान शामिल है।
3) अचल संपत्तियों की खरीद और डब्ल्यूआईपी–वर्ष के दौरान वेबसाइट डिजाइनिंग की राशि 1,70,79,382 रुपये है जिसमें गत वर्ष के दौरान सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान किए गए अग्रिम 1,18,51,818 रुपये शामिल है।

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति				
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट का भाग बनने वाली अनुसूचियां				
				(राशि–रू.)
अनुसूची 1- कॉर्पस/पूंजीगत निधि :		**वर्तमान वर्ष**		**गत वर्ष**
वर्ष की शुरूआत में शेष राशि		-		-
जोड़ : कॉर्पस/पूंजीगत निधि के लिए योगदान		-		-
जमा/कटौती: आय एवं व्यय खाते से शुद्ध आय के शेष का स्थानान्तरण		-		-
वर्ष के अंत में शेष राशि		.		.
अनुसूची 2—आरक्षित और अधिशेष				
1. पूंजी आरक्षित/सीसीए नियंत्रण खाता		11,625,734,732		4,166,637,646
पिछले खाते के अनुसार	4,166,637,646		.	
वर्ष के दौरान जमा	8,409,136,612		4,166,637,646	
घटाव – वर्ष के दौरान कटौती	950,039,526		.	
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		.		.
पिछले खाते के अनुसार	.		.	
वर्ष के दौरान जमा	.		.	
घटावः वर्ष के दौरान कटौती	.		.	
3. 1 विशेष आरक्षित निधिः आस्थगित अनुदान अग्रिम नियंत्रण खाते के लिए		9,478,765		.
पिछले खाते के अनुसार	.		.	
वर्ष के दौरान जमा	9,478,765		.	
घटावः वर्ष के दौरान कटौती	.		.	
3. 2 विशेष आरक्षितः आस्थगित अनुदान–अचल संपत्तियों के लिए		966,894,089		.
पिछले खाते के अनुसार	7,863,950		.	
वर्ष के दौरान जमा	962,695,262		.	
घटावः वर्ष के दौरान कटौती	3,665,123		.	
4. सामान्य आरक्षितः		236,257		132,007,188
पिछले खाते के अनुसार	132,007,188		17,231	
वर्ष के दौरान जमा	88,661,881		138,131,991	
घटावः वर्ष के दौरान कटौती	43,109,050		6,107,573	
कुल		12,602,343,843		4,298,644,834

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि- रू.)

अनुसूची 3- निर्धारित / बंदोबस्ती निधि	फंड वार ब्रेक अप			कुल	
	जीआईए–सीसीए	जीआईए - सामान्य	जीआईए - वेतन	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
अ) निधियों का प्रारंभिक शेष	960,462,354	1,830,313,756	8,211,783	2,798,987,893	161,950,000
ब) निधियों का जोड़:					
i. दान / अनुदान	7,567,400,000	3,000,000,000	10,000,000	10,577,400,000	11,999,788,000
ii.निधियों के कारण किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-
iii. अन्य जमा (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-
कुल (अ + ब)	**8,527,862,354**	**4,830,313,756**	**18,211,783**	**13,376,387,893**	**12,161,738,000**
स) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग / व्यय					
i. पूंजीगत व्यय					
अचल संपत्ति	-	5,227,564	-	5,227,564	-
ईएमआरएस विद्यालय का निर्माण कार्य	8,409,136,612	-	-	8,409,136,612	4,166,637,646
कुल	**8,409,136,612**	**5,227,564**	**-**	**8,414,364,176**	**4,166,637,646**
ii राजस्व व्यय					
वेतन,मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	14,034,028	14,034,028	4,288,217
आवर्त्ती व्यय के लिए राज्य ईएमआरएस को हस्तांतरित	-	4,566,251,404	-	4,566,251,404	5,057,724,000
किराया सहित अन्य प्रशासनिक व्यय	-	233,117,452	-	233,117,452	134,100,244
कुल	**-**	**4,799,368,856**	**14,034,028**	**4,813,402,884**	**5,196,112,461**
कुल (स)	**8,409,136,612**	**4,804,596,420**	**14,034,028**	**13,227,767,060**	**9,362,750,107**
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष राशि (अ+ब-स)	**118,725,742**	**25,717,336**	**4,177,755**	**148,620,833**	**2,798,987,893**

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति				
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट का भाग बनने वाली अनुसूचियां				
				(राशि - रू.)
अनुसूची.4– सुरक्षित ऋण और उधार	वर्तमान वर्ष			गत वर्ष
1 केंद्रीय सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थान				
अ) सावधि ऋण	-	-	-	-
ब) उपार्जित और देय ब्याज	-	-	-	-
4. बैंक :				
अ) सावधि ऋण	-	-	-	-
–उपार्जित और देय ब्याज	-	-	-	-
(ब) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)				
- उपार्जित और देय ब्याज	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर और बॉड्स	-	-	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि				

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा समिति				
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट का भाग बनने वाली अनुसूचियां				
				(राशि - रू.)
अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधार:	**वर्तमान वर्ष**			**गत वर्ष**
1. केंद्रीय सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-	-	-
4. बैंक :				
अ) सावधि ऋण	-	-	-	-
ब) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर एवं बॉड्स	-	-	-	-
7. सावधि जमा	-	-	-	-
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि				
अनुसूची 6– स्थगित ऋण देयताएं:				
अ) पूंजी उपकरण एवं अन्य संपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-	-	-
ब) अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
नोटः एक वर्ष के भीतर देय राशि				

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति				
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट का भाग बनने वाली अनुसूचियां				
				(राशि - रू.)
अनुसूची 7– वर्तमान देयताएं और प्रावधान		वर्तमान वर्ष		गत वर्ष
क.) वर्तमान देनदारियां				
1. स्वीकृतियां		-		-
2. विविध लेनदार:		3,542,021		772,551
अ) सामान के लिए	374,538		694	
ब) अन्य सेवाओं के लिए	3,167,483		771,857	
3. अग्रिम प्राप्ति	-	-	-	-
4. अर्जित ब्याज किंतु देय नहीं:		-		-
अ) सुरक्षित ऋण/उधार	-		-	
ब) असुरक्षित ऋण/उधार	-		-	
5. वैधानिक दायित्व:		21,495,403		1,652,649
अ) अतिदेय	-		-	
ब) अन्य	21,495,403		1,652,649	
6. अन्य वर्तमान देनदारियां		27,498,248		689,643
अ) वेतन देय	843,350		689,643	
ब) इम्प्रेस्ट देय	5,596		-	
स) सीएफआई को वापसी योग्य ब्याज	26,200,328			
द) सरकारी एजेंसियों को देय	448,974		-	
कुल (क)		**52,535,672**		**3,114,843**
ख.) प्रावधान				
1. कराधान के लिए		-		-
2. ग्रेच्युटी		43,704		-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		-		-
4. संचित अवकाश नकदीकरण		93,882		-
5. व्यापार वारंटी/दावे		-		-
6. अन्य (निर्दिष्ट)		-		-
कुल (ख)		**137,586**		-
कुल (क+ख)		**52,673,258**		**3,114,843**

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति										
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट का भाग बनने वाली अनुसूचियां										
										(राशि - रू.)
अनूसूची–8 अचल संपत्ति	सकल				मूल्यह्रास				शुद्ध	
मूल्यह्रास	वर्ष की शुरुआत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. अचल संपत्ति										
1. भूमि:										
अ) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब)लीजहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. बिल्डिंगः			-							
अ) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब) लीजहोल्ड लोन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
द) भूमि पर अधिरचना जो इकाई से संबंधित नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर एवं फिक्स्चर	2,152,085	7,282,492	-	9,434,577	107,604	838,754	-	946,358	8,488,219	2,044,481
6. कार्यालय उपकरण	2,330,648	1,198,181	-	3,528,829	466,130	444,954	-	911,084	2,617,745	1,864,518
7. कंप्यूटर/परिधीय (कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर)	2,608,150	626,136	-	3,234,286	558,676	968,154	-	1,526,829	1,707,457	2,049,475
8. विद्युत स्थापना (विद्युत कार्य और सर्वर)	2,381,845	6,465,269	-	8,847,114	476,369	1,408,717	-	1,885,086	6,962,028	1,905,476
9. पुस्तकालीय किताबें	-	22,716	-	22,716	-	4,543	-	4,543	18,173	-
10. ट्यूबवेल और जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का योग	**9,472,728**	**15,594,794**	**-**	**25,067,522**	**1,608,779**	**3,665,123**	**-**	**5,273,901**	**19,793,621**	**7,863,950**
पिछला वर्ष		9,472,728	-	9,472,728		1,608,779		1,608,779	-	7,863,950
ब. पूंजीगत कार्य प्रगति पर ईएमआरएस का निर्माण	-	945,615,880	-	945,615,880	-	-	-	-	945,615,880	-
पूंजीगत कार्य प्रगतिपर–वेबसाइट डिजाइनिंग कार्य	-	1,484,588	-	1,484,588	-	-	-	-	1,484,588	-
कुल	**9,472,728**	**962,695,262**	**-**	**972,167,990**	**1,608,779**	**3,665,123**	**-**	**5,273,901**	**966,894,089**	**7,863,950**

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति		
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट का भाग बनने वाली अनुसूचियां		
		(राशि - रू.)
अनुसूची 9-निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेन्चर और बॉन्ड	-	-
5. सहायक और संयुक्त वेंचर	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 10– निवेश – अन्य	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेन्चर एवं बॉन्ड	-	-
5. सहायक और संयुक्त वेंचर	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
कुल	-	-

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट का भाग बनने वाली अनुसूचियां				
				(राशि - रू.)
अनुसूची 11– चालू सपंत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		वर्तमान वर्ष		गत वर्ष
क. चालू संपत्तिः				
1. **इनवेन्टरी** :		-		-
अ) स्टोर और पुर्जे	-		-	
ब) शिथिल उपकरण	-		-	
स) बिक्री के लिए माल	-		-	
तैयार माल	-		-	
कार्य प्रगति पर	-		-	
कच्चा माल	-		-	
2. **विविध देनदार** :		-		-
अ) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	-		-	
ब) अन्य			-	
3. **नकद शेष (चेक, ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)**		-		-
4. **बैंक शेष** :	-	-	-	-
अ) शेडयूल बैंक के साथ		201,530,348		2,845,448,043
-चालू खातों पर	-		-	
जमा खातों पर (मार्जिन मनी सहित)	-		-	
बचत खातों पर	201,530,348		2,845,448,043	
ब) गैर–शेडयूल बैंक के साथ		-		-
चालू खातों पर	-		-	
जमा खातों पर	-		-	
बचत खातों पर	-		-	
5. डाकघर – बचत खाता	-	-	-	-
कुल (क)		201,530,348		2,845,448,043
ख) ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्ति				
1. **ऋण** :		-		-
अ) कर्मचारी	-		-	
ब) समनार्थक गतिविधियों/ उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएं	-		-	
स) अन्य (निर्दिष्ट)	-		-	
2. नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूल योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ		11,635,213,497		4,247,435,577

अ) पूंजी खातों पर	-	-	-	
ब) पूर्व भुगतान (सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को अग्रिम)	9,276,265		85,019,077	
स) अन्य (सुरक्षा जमा)	202,500		202,500	
द) अन्य - पीएसयू/ईएमआरएस सोसायटियों को ईएमआरएस के निर्माण के लिए अग्रिम	11,625,734,732		4,162,214,000	
3. अर्जित आय :		-		-
अ) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश पर	-		-	
ब) निवेश पर –अन्य	-		-	
स) ऋण और अग्रिम पर	-		-	
द) अन्य– (अप्राप्त देय आय शामिल है – रु)	-		-	
4. **प्राप्य दावे**	-	-	-	-
कुल (ख)		**11,635,213,497**		**4,247,435,577**
कुल (क+ख)		**11,836,743,845**		**7,092,883,620**

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति				
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां				(राशि - रू)
		वर्तमान वर्ष		गत वर्ष
अनुसूची–12 बिक्री/सेवाओं से आय				
1) बिक्री से आय		-		-
अ) तैयार माल की बिक्री	-		-	
ब) कच्चे माल की बिक्री	-		-	
स) खराब माल की बिक्री	-		-	
2) सेवाओं से आय		-		-
अ) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-		-	
ब) पेशेवर/ परामर्श सेवाएं	-		-	
स) एजेंसी, आयोग औ दलाली	-		-	
द) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-		-	
त) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-	-	-
कुल		-		-
अनुसूची–13 अनुदान/सब्सिडी				
(प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान और सब्सिडी)		4,880,959,000		-
1) केंद्रीय सरकार	-		-	
जीआईए–सामान्य–उपयोग की गई सीमा तक	4,799,368,856		-	
जीआईए–वेतन–उपयोग की गई सीमा तक	14,034,028		-	
2) राज्य सरकार	-		-	
3) सरकारी संस्थाएं	-		-	
4) संस्थाएं/कल्याण निकाय	-		-	
5) अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं	-		-	
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)–आस्थगित अनुदान/अग्रिम नियंत्रण	63,890,994		-	
7) अन्य (निर्दिष्ट करें)– आस्थगित अनुदान/अचल संपत्ति का परिशोधन	3,665,123		-	
कुल		**4,880,959,000**		-
अनुसूची–14 शुल्क/ सदस्यता			**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
1) प्रवेश शुल्क			-	-
2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता			-	-
3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क			-	-
4) परामर्श शुल्क			-	-
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)			-	-
कुल			-	-

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति				
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां				(राशि–रू.)
	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
अनुसूची–15 निवेश से आय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
(निर्धारित / बंदोबस्ती फंड से निवेश पर आय का फंड में स्थानान्तरण)				
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉन्ड्स / डिबेन्चर	-	-	-	-
2) लाभांश :				
क) शेयर पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3) किराया	-	-	-	-
4) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
निर्धारित / बंदोबस्ती निधि को हस्तांतरित				
अनुसूची–16 रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय			वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) रॉयल्टी से आय			-	-
2) प्रकाशन से आय			-	-
3) अन्य (निर्दिष्ट)			-	-
कुल			-	-
अनुसूची–17 अर्जित ब्याज			वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) सावधि जमा पर :				
क) शेडयूल बैंक के साथ			-	-
ख) गैर–शैडयूल बैंक के साथ			-	-
स) संस्थान के साथ			-	-
द) अन्य			-	-
2) बचत खातों पर :				
क) शेडयूल बैंक के साथ *			149,845,582	43,109,050
ख) गैर–शैडयूल बैंक के साथ			-	-
स) डाकघर बचत खाता			-	-
द) अन्य			-	-
3) ऋण पर :				
क) कर्मचारी			-	-
ख) अन्य			-	-
4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज			-	-
कुल			**149,845,582**	**43,109,050**

नोट- *स्त्रोत पर कोई कर कटौती नहीं।

* राज्य ईएमआरएस सोसायटियों से प्राप्त ब्याज सम्मिलित करते हुए।

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति		
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां (राशि–रू.)		
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची–18 अन्य आय		
1) संपत्ति की बिक्री/निपटान पर लाभ :		
क) स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-
ख) अनुदान से अर्जित की गई संपत्तियां या निःशुल्क प्राप्त हुई	-	-
2) निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क– आवेदन शुल्क की वापसी	-	3,423,050
4) विविध आय	-	-
कुल	**-**	**3,423,050**
अनुसूची–19 तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि /कमी और कार्य में प्रगति अनुदान सब्सिडी		
अ) अंतिम स्टॉक		
- तैयार माल	-	-
- कार्य में प्रगति	-	-
ब) घटाव : प्रारंभिक स्टॉक		
- तैयार माल	-	-
- कार्य में प्रगति	-	-
शुद्ध वृद्धि/(घटाना) [अ–ब]	-	-
अनुसूची–20 स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरी	12,930,765	6,504,271
ख) भत्ते और बोनस	379,554	-
ग) भविष्य निधि में योगदान	-	-
घ) अन्य फंड में योगदान (निर्दिष्ट)–एनपीएस	586,123	-
ड़) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभों पर व्यय	137,586	-
छ) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
कुल	**14,034,028**	**6,504,271**

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति		
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां (राशि–रू.)		
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 21– अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
क) क्रय	-	-
ख) श्रम और प्रसंस्करण व्यय	-	-
ग) कार्टेज एवं आवक भाड़ा	-	-
घ) विद्युत	1,078,875	-
ड़) जल व्यय	33,780	3,180
च) बीमा	-	-
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	29,350	111,440
ज) उत्पाद शुल्क	-	-
झ) किराया	14,977,752	12,148,620
ञ) वाहन चलाने, रखरखाव और पार्किंग शुल्क	1,175,725	265,632
त) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	86,093	22,976
थ) मुद्रण और स्टेशनरी	800,358	283,614
द) यात्रा और वाहन व्यय	573,846	112,091
ध) सेमिनार पर व्यय	74,000	-
न) सदस्यता व्यय	-	-
प) फीस पर खर्च	-	23,461
फ) ऑडिटर का पारिश्रमिक	165,740	47,200
ब) आतिथ्य व्यय	221,923	165,754
भ) पेशेवर व्यय	13,567,782	5,655,908
म) अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों और ऋण के लिए प्रावधान	-	-
य) अपूरणीय शेष बट्टे खाते में डाला	-	-
र) पैकिंग शुल्क	-	-
ल) माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय	-	-
व) वितरण व्यय	-	-
श) विज्ञापन और प्रचार	2,390,339	1,308,355
ष) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
बैंक व्यय A/c	10,852	4,228
सफाई कर्मचारी व्यय	687,594	150,719
यात्रा व्यय	96,977	10,300
आउटसोर्स श्रमशक्ति व्यय	6,760,470	-
कार्यालय व्यय	286,514	1,575,409
कर्मचारियों की भर्तियों पर व्यय	27,888,476	12,283,800
विविध सेवाओं के लिए आवेदन शुल्क की वापसी	44,033	-
एनईएसटीएस मुख्यालय से ईएमआरएस गतिविधियों के लिए किए गए व्यय		
ईएमआरएस में स्मार्ट क्लास की स्थापना	10,561,600	-
स्थापना और प्रशिक्षण	10,072,628	10,193,873
ईएमआरएस स्कूल के लिए गणवेश आपूर्ति व्यय	204,737,522	-
ऑनलाइन प्रायोगिक लर्निंग व्यय	619,647	-
प्रशिक्षण व्यय	66,570	160,063
कुल	**297,008,446**	**44,526,623**

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति		
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां		(राशि–रू.)
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची 22– अनुदानों, सब्सिडी आदि पर व्यय		
अ) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान – राज्य ईएमआरएस सोसायटी के लिए आवर्ती व्यय	4,566,251,404	-
ब)संस्थानों /संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	-	-
कुल	**4,566,251,404**	-
नोट– विभिन्न राज्य संचालित ईएमआरएस सोसायटियों को दी जाने वाली आवर्ती सहायता अनुदान की राशि		

अनुसूची 23– ब्याज	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
अ) स्थाई ऋण पर	-	-
ब) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
स) अन्य– भारत की संचित निधि (सीएफआई) को लौटाए गए अव्ययित अनुदान सहायता पर प्राप्त ब्याज *	192,954,632	-
कुल	**192,954,632**	-

* सीएफआई को कुल में से संबंधित वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 4,31,09,050/– और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 14,98,45,582/– भुगतान /देय ब्याज

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 24– महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. **लेखांकन परिपाटियां**
   वित्तीय विवरण पुरानी लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं जब तक कि लेखांकन की वास्तविक पद्धति पर या अन्यथा न कहा गया हो।

2. **निवेश**
   वित्तीय वर्ष के दौरान सोसायटी के द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है।

3. **उत्पाद शुल्क / जीएसटी**
   सोसायटी किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं करती है। हालांकि, सोसायटी ने टीडीएस उद्देश्यों के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत कर कटौती संख्या प्राप्त की है।

4. **अचल संपत्ति**

4.1 अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर बताया गया है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल है। निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व–संचालन व्यय (इसके पूरा होने से पहले विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज सहित), पूंजीकृत संपत्तियों के मूल्य का हिस्सा बनते हैं।

4.2 गैर मौद्रिक अनुदान (कॉपर्स फंड के अलावा) के माध्यम से प्राप्त अचल संपत्तियों को कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट द्वारा बताए गए मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

4.3 अचल संपत्तियों का मूल्यांकन लागत पर किया गया है और वर्ष के अंत में बैलेंस शीट में शुद्ध मूल्यह्रास को दिखाया गया है।

5. **मूल्यह्रास**

5.1 अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देनदारियों के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले लागत समायोजन पर मूल्यह्रास को छोड़कर, मूल्यह्रास लिखित मूल्य पद्धति के तहत दरों पर और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित पद्धति से अचल संपत्तियों पर प्रदान किया गया है, जो संबंधित संपत्तियों के शेष जीवन पर परिशोधन किया जाता है।

5.2 वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ति के लिए, 6 महीने से अधिक के लिए अर्जित और उपयोग की गई संपत्ति के लिए लागू दर के अनुसार पूर्ण मूल्यह्रास और छह महीने से कम अवधि के लिए लागू मूल्यह्रास का 50 % प्रदान किया जाता है।

5.3 संपत्ति को मूल्यह्रास अवधि के अंत में 1 रुपये के नाममात्र मूल्य पर दिखाया गया है।

5.4 5,000/– या उससे कम की लागत वाली प्रत्येक संपत्ति पूर्ण रूप से ह्रासित की गयी है।

6. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

6.1 परियोजनाओं की स्थापना की पूंजीगत लागत को योगदान की प्रकृति के सरकारी अनुदानों को पूंजी रिजर्व के रूप में माना जाता है।

6.2 विशिष्ट अचल संपत्तियों के संबंध में अर्जित अनुदान संबंधित संपत्तियों की लागत से कटौती के रूप में दिखाया गया है।

6.3 सरकारी अनुदान/सब्सिडी का हिसाब वसूली के आधार पर किया जाता है।

6.4 समिति को तीन प्रमुख मदों के तहत अनुदान प्राप्त हुआ है अनुदान सहायता– सामान्य, वेतन और पूंजीगत संपत्ति का निर्माण (सीसीए)।

6.5 अप्रयुक्त शेष ऐसे अनुदानों की शेष राशि को निर्धारित/बंदोबस्ती निधि के अंतर्गत बैलेंस शीट में अनुदान के अंतिम शेष के रूप में प्रदर्शित किया गया है। पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण (सीसीए), सामान्य और वेतन के तहत अलग से धन प्राप्त किया जाता है और अलग से हिसाब किया जा रहा है।

7. विदेशी मुद्रा लेनदेन

वर्ष के दौरान सोसायटी द्वारा कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है।

8. लीज

लीज रेंटल लीज शर्तों के संदर्भ में खर्च किए जाते हैं।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित की गयी है।

9.2 कर्मचारियों को संचित अवकाश नकदीकरण लाभ का प्रावधान इस धारणा पर उपार्जित और गणना की गयी है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार है।

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए खातों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची –25– आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

1. **आकस्मिक देयताएं**

1.1 समिति के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	रू. शून्य	(पिछले वर्ष रू. शून्य)

1.2 **के संबंध में** :

संस्था द्वारा /की ओर से दी गई बैंक गारंटी	रू. शून्य	(पिछले वर्ष रू. शून्य)
संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र	रू. शून्य	(पिछले वर्ष रू. शून्य)
बैंकों के साथ बिल डिस्काउंटेड किए गए	रू. शून्य	(पिछले वर्ष रू. शून्य)

1.3 **के संबंध में विवादित मांगें :**

आयकर	रू. शून्य	(पिछले वर्ष रू. शून्य)
विक्रय कर /वैट/जीएसटी	रू. शून्य	(पिछले वर्ष रू. शून्य)
नगरपालिका कर	रू. शून्य	(पिछले वर्ष रू. शून्य)

1.4 आदेशों के गैर–निष्पादन के लिए पार्टियों से पीएफ दावों के संबंध में, लेकिन संस्था द्वारा चुनौती दी गई

2. **पूंजी प्रतिबद्धताएं**

2.1 अनिष्पादित अनुबंधों का पूंजी खाते पर अनुमानित मूल्य जिसके लिए प्रदान नहीं किया गया (शुद्ध अग्रिम)	रू. शून्य	(पिछले वर्ष रू. शून्य)

3. **लीज दायित्व**

3.1 संयंत्र एवं मशीनरी राशि की व्यवस्था के लिए वित्तीय लीज के तहत किराये के लिए दायित्व	रू. शून्य	(पिछले वर्ष रू. शून्य)

4. **चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम**

प्रबंधन की राय में, चालू संपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर मूल्य होता है, जो कम से कम बैलेंस शीट में दिखाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

5. **<u>कर</u>**

आयकर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के मद्देनजर, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

6. **विदेशी मुद्रा लेनदेन**

		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
6.1	सीआईएफ के आधार पर अनुमानित आयातों पर मूल्य :	शून्य	शून्य
	तैयार माल का क्रय	शून्य	शून्य
	कच्चा माल और घटक (ट्रांजिट सहित)	शून्य	शून्य
	पूंजीगत माल	शून्य	शून्य
	स्टोर, स्पेयर और उपभोग्य वस्तुएं	शून्य	शून्य
6.2	विदेशी मुद्रा में व्यय :	शून्य	शून्य
	यात्रा	शून्य	शून्य
	वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुंद्रा में प्रेषण और ब्याज भुगतान	शून्य	शून्य
6.3	आय:		
	एफओबी पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य
6.4	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक		
	ऑडिट	शून्य	शून्य
	कराधान के मामले	शून्य	शून्य
	प्रबंधन सेवाओं के लिए	शून्य	शून्य
	प्रमाणीकरण के लिए	शून्य	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य

7. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो पुनवर्गीकृत किया जाता हैं।

8. विविध लेनदारों की शेष राशि, ऋण और अग्रिम और अन्य वसूली योग्य पुष्टिकरण और समाधान के अधीन हैं।

9. **<u>प्रावधान</u>**

बैलेंस शीट की तारीख में दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमानों के आधार पर प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

10. अनुसूचियां 1 से 25 संलग्न है और 31 मार्च, 2022 को बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का एक अभिन्न हिस्सा है।

संजय पांडे एंड कंपनी
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)

आयुक्त
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1ः एनईएसटीएस और राज्य ईएमआरएस सोसायटी के बीच समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर			
क्र.सं.	राज्य के नाम	सोसायटी का नाम	एमओयू हस्ताक्षर
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश जनजातीय कल्याण शैक्षणिक संस्थान सोसायटी (गुरुकुलम) (एपीटीडब्ल्यूआरईआईएस)	जी हाँ।
2	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल सोसायटी (एपीईएमआरएसएस)	जी हाँ।
3	असम	असम राज्य स्तरीय ईएमआरएस सोसायटी	जी हाँ।
4	बिहार		नहीं
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ आदिमजाति कल्याण आवासीय अवाम आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति	जी हाँ।
6	दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव संघ शासित प्रदेश की ईएमआरएस सोसायटी	जी हाँ।
7	गुजरात	गुजरात राज्य जनजातीय शिक्षा सोसायटी	जी हाँ।
8	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल प्रबंधन (एचपीईएमआरएसएम) सोसायटी	जी हाँ।
9	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस) सोसायटी	जी हाँ।
10	झारखंड	झारखंड आश्रम और एकलव्य विद्यालय शिक्षा सोसायटी	जी हाँ।
11	कर्नाटक	कर्नाटक आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी (केआरआईईएस)	जी हाँ।
12	केरल	केरल राज्य एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल सोसायटी (केएसईएमआरएसएस)	जी हाँ।
13	लद्दाख	लद्दाख संघ शासित प्रदेश ईएमआरएस सोसायटी	जी हाँ।
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश विशेष एवं आवासीय शैक्षणिक सोसायटी (एमपीएसएआरएएस)	जी हाँ।
15	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र जनजातीय सार्वजनिक-स्कूल सोसायटी	जी हाँ।
16	मणिपुर	मणिपुर सोसायटी फॉर ट्राइबल एडुकेशनल इन्स्टीट्यूशन	जी हाँ।
17	मेघालय	मेघालय आवासीय स्कूल सोसायटी (एमईआरएसएस)	जी हाँ।
18	मिजोरम	मिजोरम एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल सोसायटी	जी हाँ।
19	नागालैंड	नागालैंड एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल प्रबंधन सोसायटी (एनईएमआरएसएमएस)	जी हाँ।
20	ओडिशा	ओडिशा मॉडल जनजातीय शिक्षा सोसायटी	जी हाँ।
21	राजस्थान	राजस्थान राज्य एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल सोसायटी	जी हाँ।
22	सिक्किम	सिक्किम ईएमआरएस सोसायटी	जी हाँ।
23	तमिलनाडू'	तमिलनाडू जनजातीय कल्याण आवासीय और शैक्षणिक संस्थान सोसायटी	नहीं
24	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल सोसायटी (टीएसईएस)	जी हाँ।
25	त्रिपुरा	त्रिपुरा जनजातीय कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी	जी हाँ।
26	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक अवाम आर्थिक विकास समिति	जी हाँ।
27	उत्तराखंड	एकलव्य आवासीय विद्यालय संगठन समिति, देहरादून	जी हाँ।
28	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगा आदिवासी कल्याण-व-शिक्षा परिषद	नहीं

अनुलग्नक 2

राज्य	प्रचालनात्मक ईएमआरएस	गैर-प्रचालनात्मक ईएमआरएस	सकल योग
आंध्र प्रदेश	28	0	28
अरुणाचल प्रदेश	2	8	10
असम	1	9	10
बिहार	0	3	3
छत्तीसगढ़	71	2	73
दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	1	0	1
गुजरात	35	6	41
जम्मू एवं कश्मीर	0	6	6
हिमाचल प्रदेश	4	0	4
झारखंड	7	80	87
कर्नाटक	12	0	12
केरल	2	2	4
लद्दाख	0	3	3
मध्य प्रदेश	63	6	69
महाराष्ट्र	31	5	36
मणिपुर	3	18	21
मेघालय	0	27	27
मिजोरम	6	11	17
नागालैंड	3	19	22
ओडिशा	27	77	104
राजस्थान	30	1	31
सिक्किम	4	0	4
तमिलनाडू	8	0	8
तेलंगाना	23	0	23
त्रिपुरा	5	16	21
उत्तर प्रदेश	2	2	4
उत्तराखंड	3	1	4
पश्चिम बंगाल	7	1	8
सकल योग	**378**	**303**	**681**

शब्द/संक्षिप्त	रूप आशय/पूर्ण रूप
ईएमआरएस	एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल
एनईएसटीएस	राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा परिषद
ए/ए एवं ई/एस	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
एमएलपी	मास्टर लेआउट प्लान
टीसीआईएल	टेलीक्म्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड
एचएससीएल	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता
एनपीसीसी	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
ईपीआईएल	अभियांत्रिक परियोजना (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली
वाप्कोस	वाप्कोस लिमिटेड, गुरुग्राम
मेनडिको	मणिपुर औद्योगिक विकास कार्पोरेशन लिमिटेड, मणिपुर
बीएंडआर	ब्रिज एंड रुफ कंपनी(इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली
एमटीडीसी	मणिपुर जनजातीय विकास कार्पोरेशन लिमिटेड, मणिपुर
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
एनई	पूर्वोत्तर
एलडब्ल्यूई	वामपंथी उग्रवाद
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीसीईए	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
टीपीक्यूए	तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन